शुक्रवार,
३० अप्रैल, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद-विवाद

लोक-सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

अंक ३, १९५४

(२८ अप्रैल से २१ मई १९५४)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

षष्ठ सत्र

१९५४

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

पृष्ठ भाग

बुधवार, १२ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३९९–३४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३४४६–३४७०

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३४७१–३५१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३५१७–३५४२

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३५४३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१ ३५४३–३५९२

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३ ३५९२–३५९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६ ३५९७–३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२ ३६०१–३६१०

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६११

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४ ३६११–३६१४

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७ ३६१५–३६२४

लोक सभा

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दियासलाई की लकड़ी से सम्बन्धित बागान

*२१४७. **श्री झलन सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ मई, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रावणकोर-कोचीन तथा मद्रास राज्यों में दियासलाई की लकड़ी से सम्बन्धित बागान परियोजनाओं की लागत में अन्तर क्यों है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १९५२-५३ में त्रावनकोर कोचीन में जो व्यय हुआ उसका सम्बन्ध केवल प्रारम्भिक कार्यवाही, जैसे कि बीज संग्रह तथा आयोजन से है, जब कि मद्रास में इस कार्यवाही में वास्तविक रूप में उगाने का काम भी शामिल है । मद्रास में यह परियोजना पहले से ही जोरों पर चल रही थी ।

श्री झलन सिन्हा : क्या सरकार ने इस बात का पक्का पता लगाया है कि उस राज्य में कोई धन नाश नहीं हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस बारे में निश्चित हूं । लागत, वास्तव में लगभग ४० रुपये से लेकर ४२ रुपये प्रति एकड़ तक आती है, तथा मैं समझता हूं कि धन नाश की कोई सम्भावना नहीं है ।

सहायक स्वास्थ्य कर्मचारीवर्ग

*२१४८. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सहायक स्वास्थ्य कर्मचारी-वर्ग की ट्रेनिंग सम्बन्धी परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : उत्तर नकारात्मक है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या ऐसी किसी परियोजना के लिये कोई प्रस्थापना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, कई राज्यों से इस तरह की परियोजनाओं के लिये एक प्रस्थापना प्राप्त हुई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस प्रस्थापना को कार्य रूप दिया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, इसे कार्य रूप दिया जायेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कुल कितने सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जायगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह बात राज्यों की अपेक्षाओं पर निर्भर है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन राज्यों में, जहां कि इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, यह सहायक स्वास्थ्य कर्मचारी प्रशिक्षाप्राप्त डाक्टरों के साथ रखे जायेंगे अथवा क्या इन्हें स्वतंत्र केन्द्रों में काम करने की अनुमति दी जायगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह प्रशिक्षाप्राप्त डाक्टरों के अधीन काम करेंगे । वास्तव में, इस परियोजना को कार्य रूप देने के लिये हाथ में नहीं लिया गया है । इसको अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है तथा राज्य सरकारों द्वारा यह काम हाथ में लिये जाने के बाद ही यह कर्मचारी डाक्टरों के अधीन रह कर काम शुरू करेंगे ।

बिहार को अनाज की रसद

*२१४९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष १९५४ के लिये चावल तथा अन्य अनाजों से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताओं का प्राक्कलन पेश किया है ;

(ख) यदि किया है, तो उन्हें प्रत्येक प्रकार के अनाज की कितनी आवश्यकता है ; तथा

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कुछ निश्चय किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने १९५४ के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई चावल नहीं मांगा है तथा आशा है कि वह उसी मात्रा से काम चलायेंगे जो उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध होगी । भारत सरकार इस समय बिहार में केन्द्रीय विक्रय डिपुओं द्वारा गेहूं का वितरण करती है, तथा मोटे अनाज पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हटा लिया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या बिहार सरकार ने कुछ गेहूं को, विशेष रूप से जो मोकामेह में पड़ा हुआ है, कम दामों पर बेचने की मांग की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गत वर्ष ऐसी बात हुई थी, इस वर्ष नहीं । हमने गत वर्ष १४ रुपये प्रति मन के कम दाम पर उन्हें कुछ गेहूं दिया था, तथा उन्होंने इसका वितरण किया था ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह समझ लूंगा कि बिहार अब चावल में आत्मनिर्भर हो गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने कोई भी चावल नहीं मांगा है । अतः हमारा विचार है कि वह चावल में आत्मनिर्भर है । यदि उन्हें किसी चावल की आवश्यकता होगी तो हमें उन्हे इसकी रसद देने में प्रसन्नता होगी, क्योंकि आसाम में हमारे पास काफी चावल पड़ा है । आसाम बिहार के साथ लगता है तथा हम आसाम से ही अनाज बिहार को भेज सकते हैं, और किसी स्थान से नहीं ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): हम चाहते हैं कि बिहारी और अधिक चावल खायें ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यदि वह और अधिक चावल चाहते हैं तो, हम उन्हें देने के लिये तैयार हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार सरकार ने ऐसे किसी अनाज के लिये कोई मांग नहीं की है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन प्रस्तुत किया है कि गत वर्ष के चावल उत्पादन तथा अन्य

अनाजों के उत्पादन के मुकाबले में इस वर्ष का उत्पादन कितना बढ़ गया है तथा क्या उस राज्य में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये उनकी कोई अपनी योजना भी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने केवल यह कहा है कि उन्हें और अधिक अनाज की आवश्यकता नहीं है, शायद इस लिये कि वह अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। पिछले वर्ष हमने उन्हें १,१५,००० टन गेहूं दिया था। इस वर्ष हमने गया, पटना तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने केन्द्रीय डिपो खोले हैं। हम उन्हें किसी भी मात्रा में गेहूं बेचने के लिये तैयार हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि बंगाल तथा आसाम जैसे चावल उपभोगी स्थानों के मुकाबले में बिहार में प्रतिमन चावल का विक्रय मूल्य क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम बिहार को कोई चावल प्रदाय नहीं करते हैं। जो मूल्य उन्होंने वहां के कृषकों को दिया है, वही बिहार के उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ता होगा।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि चिरकाल से कमी वाला एक राज्य कैसे एकदम आत्मनिर्भर हो गया है ? क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ?

श्री सी० डी० पांडे : पंचवर्षीय योजना।

डा० पी० एस० देशमुख : खाद्य मंत्रालय।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अन्य कमी वाले राज्य भी आत्मनिर्भर हो गये हैं। इस तरह से हमें आशा है कि बिहार भी, जो कि देश के सब से बड़े चावल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, चावल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायगा।

डूबे हुए भारतीय जहाज

*२१५०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह से कुछ दूर डूबे हुए तीन भारतीय तटीय जहाजों—'रामदास',—'लक्ष्मी' तथा 'दीपावती'—को जल से बाहर निकलवाने के लिये कोई कोशिश की गई है ; तथा

(ख) यदि की गई है तो इसका परिणाम क्या रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्ज प्रसस सालवेज लिमिटेड, लंदन, जिन्होंने कि यह काम अपने जिम्मे लिया था, अपने प्रयत्नों में असफल रहे हैं। अब नये टेंडर बुलवाने का विचार है।

श्री डी० सी० शर्मा : इन दो जहाजों के डूब जाने के कारण क्या हैं ?

श्री शाहनवाज खां : कई कारण हैं। कभी जहाज आपस में टकरा जाते हैं, कभी वह रेत में फंस जाते हैं। मेरे पास इसकी ठीक ठीक सूचना नहीं है, परन्तु सामान्य कारण तो ये ही हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : इन जहाजों का लगभग मूल्य क्या था ?

श्री शाहनवाज खां : यह जहाज प्राइवेट कम्पनियों के थे। हम ने इन के ठीक ठीक मूल्य का पता नहीं लगवाया है।

श्री रघुनाथ सिंह : इन दो जहाजों का वजन क्या था ?

श्री जोकीम आल्वा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या परिवहन मंत्रालय के मंत्रियों तथा अधिकारियों ने गत सत्र में शिशु समारोह के अवसर पर वह फिल्म देखी थी जिसमें कि बालकों तथा बालिकाओं को

समुद्र के नीचे से जहाज को रस्सों द्वारा खींचते दिखाया गया था ? यह एक रूसी फिल्म थी । मैं जानना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय भी इस बात की ओर क्यों ध्यान नहीं दे सकता है कि हमारे जहाज भी पानी के नीचे से रस्सों द्वारा इसी तरह खींचे जायें ?

श्री शाहनवाज़ खां : मुझे मालूम नहीं कि माननीय मंत्री तथा उपमंत्री ने वह फिल्म देखी है या नहीं, परन्तु मैंने वह बच्चों की फिल्म नहीं देखी है ।

श्री के० सी० सोधिया : इस तरह की राष्ट्रीय दुर्घटनायें होने पर क्या सरकार इन से सम्बन्धित आंकड़े संकलित करना अपना कर्तव्य समझेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : अवश्य, मंत्रालय यह अपना कर्तव्य समझता है, तथा मुझे भरोसा है कि आंकड़े संकलित किये गये हैं । परन्तु इस विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में मेरे पास इस समय सदन में सविस्तर सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य यह आंकड़े चाहते हैं तो मैं उनके लिये संकलित कर सकता हूं ।

प्रश्न संख्या २१५१ के सम्बन्ध में

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री मुनिस्वामी । माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या मैं यह प्रश्न पूछूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरे क्रम में आ जायगा । माननीय सदस्य सदन में ही बैठ जायें ।

रेलों पर माल बेचने के ठेके

*२१५२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे पर इस प्रकार का व्यवहार होता है कि किसी भी विक्रेता की मृत्यु के बाद वह ठेका उसके परिवार को दिया जाता है ; और

(ख) यदि दिया जाता है, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, यदि उस मृत विक्रेता के वैध उत्तराधिकारी संतोषजनक ढंग से काम चला सकें तो उन्हीं को माल बेचने के ठेके दिये जाते हैं ।

(ख) इस प्रकार के व्यवहार से यह काम कुशल रूप से चलता रहता है, और चूंकि मृत ठेकेदार के उत्तराधिकारी ठेके का काम चलाने में अनुभवी होते हैं, अतः इस प्रकार की प्रक्रिया को ठीक और उचित समझा जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : एक वेलफेयर स्टेट में यह कहां तक जायज़ है कि कोई जगह बपौती कर दी जाय ?

अध्यक्ष महोदय : शांन्ति, शांन्ति । यह प्रश्न यहां कैसे पैदा होता है ?

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस प्रकार के ठेके छोटे छोटे विक्रेताओं को जिनसे ६० या ७० रुपये प्रति ठेका लिया जाता है, किराये पर दिये जाते हैं, जब कि सरकार लगभग ५ रुपये प्रति ठेका लिया करती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : समय समय पर इस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं कि माल बेचने के ठेकों को और आगे ठेके पर दिया जाता है । नियमों के अनुसार इस प्रकार का आचरण निषिद्ध है, और यदि रेलवे बोर्ड को इस बात का प्रमाण सहित साक्ष्य मिले कि किसी ठेकेदार ने आगे ठेके पर अपना ठेका बेचा तो रेलवे बोर्ड कड़ी कार्यवाही करेगा । इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि ठीक ठीक प्रमाण

मंत्रालय को पेश किये जायें, तो हम उनके आभारी होंगे ।

अनेक माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों को बुलाया नहीं जा सकता ।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय सभा सचिव ने बताया है कि माल बेचने के ठेके दयावश मृत विक्रेताओं के उत्तराधिकारियों को दिये जाते हैं । क्या अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में भी यही सिद्धांत काम नहीं कर सकता, ताकि किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अन्य सुविधाओं के न होते हुए — उसके पुत्र को वह नौकरी दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अगला प्रश्न ।

हैजा

*२१५३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ अप्रैल, १९५३ को हैजा के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८० के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ के हैजा निमित्त अध्ययन विशारद दल ने कोई रिपोर्ट पेश की ; और

(ख) सरकार द्वारा इस अध्ययन दल को क्या सहायता दी गई थी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य हैजा सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संघ की विशारद समिति की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसने एक रिपोर्ट पेश की है ।

(ख) अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता का एक पदाधिकारी, और भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद् का एक पदाधिकारी जिसे भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है, हैजा सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संघ की विशारद समिति के सदस्य थे । इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अनेक पदाधिकारी इन सत्रों में उपस्थित रहे और उन्होंने उक्त विशारद समिति के विचार-विमर्श में भी भाग लिया ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या उक्त रिपोर्ट में पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय नगर को भी इस स्थानीय रोग का क्षेत्र माना गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, २३ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये पहले के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि बंगाल स्थित गंगा जी का डेल्टा, बिहार में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के आस-पास का क्षेत्र, उड़ीसा स्थित महानदी का डेल्टा और दक्षिण में कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टे ही ऐसे स्थान हैं जहां हैजा एक भयंकर स्थानीय रोग है ।

श्री एस० सी० सामन्त : अप्रैल, १९५३ में मेरे द्वारा पूछे गये उस प्रश्न के उत्तर में, जिसकी ओर माननीय मंत्री ने अभी निर्देश किया है, यह बताया गया था कि भाग (ख) (ग) तथा (ङ) के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जायगी और सदन-पटल पर रखी जायगी । किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है । क्या मैं शीघ्र ही जानकारी प्राप्त करने की आशा करूं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, श्रीमान्, हमारी यही आशा है । अभी राज्य सरकारों ने उत्तर नहीं भेजे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल में इस रोग की स्थानीयता इतनी भयंकर है, क्या भारत सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा की जाने वाली निरोधक कार्यवाही

के अतिरिक्त इस रोग की रोक थाम के लिये और कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अपने प्रश्न में माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित रिपोर्ट में मद संख्या [९ भी इसी बात पर जोर देती है कि हैजा के विरुद्ध किये जाने वाले आन्दोलन में पास-पड़ोस की सफाई का कार्यक्रम कितना ही महत्वपूर्ण है। इस उपचार के अतिरिक्त हैजा से एकदम बचने का और कोई उपाय नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि रिपोर्ट के सारांश में यह बताया गया था कि जलप्रदाय की निगरानी की जाय ताकि इस बीमारी का मूल कारण दूर हो सके ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, हैजा को समाप्त करने का यह एक साधन है। यही कारण है कि हम राष्ट्रीय जल प्रदाय योजना पर विचार कर रहे हैं। ज्योंही यह योजना चलेगी और राज्य सरकारें अपनी योजनायें लेकर आयेंगी, त्योंही केन्द्रीय सरकार यथासम्भव सहायता देगी।

लोक लेखा समिति प्रतिवेदन

*२१५४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लोक लेखा समिति द्वारा उसकी पांचवी रिपोर्ट के पैरा २५, २७, २९, ३० और ३२ में दी गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि किया है तो उनको कार्यान्वित करने की क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सम्बद्ध पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित ५ पैराओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १८]

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं कि सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मुझे विवरण मिला है, अतः मैं सन्तुष्ट हूं।

श्री भागवत झा आजाद : पैरा २९ में बताया गया है कि सम्बद्ध पदाधिकारी से इस बात की जवाब तलबी हुई है कि सरकार को हुआ घाटा क्यों न उस से ही प्राप्त किया जाय, और यह मामला विचाराधीन है। क्या वह अभी भी काम पर हैं, और चूंकि इस घाटे का दायित्व उन पर ही है, अतः उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

श्री जगजीवन राम : वह अभी भी काम पर है, और इस अर्थदण्ड का सुझाव दिया गया है कि उसके वेतन से घाटे की रकम क्यों न काटी जाय। यह मामला लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है।

श्री भागवत झा आजाद : पैरा ३२ में बताया गया है कि पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने वाली है। विवरण के विस्तार में यह बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस अनमेल का क्या कारण है ?

श्री जगजीवन राम : यह सारा मामला न्यायाधीन है, और न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

श्री के० सी० सोधिया : कितने वर्ष पहले यह बात हुई थी ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य लोक लेखा समिती की रिपोर्ट को देखें ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं जान सकता हूं कि .....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अब मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

संगरूर में टी० बी० अस्पताल

*२१५५. **श्री तिम्मय्या :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी ;

(क) क्या पेप्सू राज्य स्थित संगरुर के निकट विस्थापित व्यक्तियों के लिये बने हुए "ट्यूबरकुलोसिस हास्पिटल" को १९५२-५३ और १९५३-५४ में कोई अनुदान या वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि दी गई है, तो प्रति वर्ष कितनी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) पेप्सू स्थित संगरूर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये टी० बी० अस्पताल के संधारण के लिये भारतीय ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन को १९५२-५३ और १९५३-५४ में अनुदान दिये गये थे ।

(ख) १९५२ के लिये १,८०,००० रुपये; १ जनवरी, १९५३ से ३१ मार्च,१९५३ तक के लिये ४५,००० रुपये ; और १ अप्रैल १९५३ से २८ फरवरी, १९५४ तक के लिये १,५७,००० रुपये ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार के पास इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन पहुंचा है कि अस्पताल में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अतः अनुदान के रूप में दी गई राशि अपर्याप्त है ? यदि कोई अभ्यावेदन मिला है, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे इस प्रकार के किसी भी अभ्यावेदन या प्रतिवेदन का कोई ज्ञान नहीं ।

प्रकाशस्तम्भ

*२१५६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का भारत में कुछेक नये प्रकाशस्तम्भ बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि है, तो कितने बनाने का विचार है, तथा किस लागत पर ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी हां । केन्द्रीय प्रकाशस्तम्भ विभाग जिस विकास योजना के अनुसार काम कर रहा है, उसमें इस प्रकार का प्रस्ताव है कि नौपरिवहन की सहायता के लिये लगभग १०० ऐसे प्रकाशस्तम्भ बनाये जायेंगे, जिन पर अनुमानतः चार करोड़ रुपये की लागत आयेगी । इस योजना में सम्मिलित निर्माण-कार्यों का विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १९**] आशा है कि इन में से लगभग २ करोड़ रुपये की लागत के निर्माण-कार्य पंचवर्षीय योजना के दौरान में पूरे किये जायेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : विवरण में जिन बनाये जाने वाले प्रकाशस्तम्भों का प्राक्कलन दिया गया है, उन में से इस वर्ष कितने एक बनाये जाने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : सूची में इस बात का उल्लेख है कि नौपरिवहन की सहायता के लिये लगभग १०० प्रकाशस्तम्भ बनाये जायेंगे । पूरी सूची सदन-पटल पर पड़ी है ।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि १९५४-५५ में इनमें से कितने प्रकाश-स्तम्भों का निर्माण पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

श्री अलगेशन : सूची बहुत लम्बी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सभी का उल्लेख नहीं कर सकते ।

मनीपुर में बाढ़ सहायता कार्य

*२१५८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष की भारी बाढ़ से जिन क्षेत्रों को नुकसान हुआ है वहां सहायता कार्यों के लिये सरकार ने मनीपुर को १,४८,००० रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सहायता कार्यों की कोई योजना तैयार की है ; तथा

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ३०,००० ।

(ग) जी हां ।

(घ) १९५४-५५ में जिन सहायता कार्यों को आरम्भ करने का विचार है, उनका एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २०]**

श्री रिशांग किशिंग : क्या जनता द्वारा कोई सहायता कार्य समिति बनाई गई है ; यदि हां, तो क्या सरकार ने इन योजनाओं के बनाने में उस समिति की राय ली है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार अगली बरसात आने से पहले इन योजनाओं का काम पूरा कर देने का विचार करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : रुपये की व्यवस्था १९५४-५५ के लिए की गई है और आशा की जाती है कि इस वर्ष के दौरान में इस रुपये को खर्च कर दिया जायगा ।

श्री रिशांग किशिंग : विवरण में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त, क्या सरकार मनीपुर में बाढ़ रोकने के लिये कोई स्थायी प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बी० सी० जी० के टीके

*२१५९. **डा० नटवर पांडे :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि उड़ीसा में १९५३ में कितने लोगों के बी० सी० जी० के टीके लगाये गये ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : उड़ीसा में १९५३ में ६३,६९१ लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये ।

डा० नटवर पांडे : क्या कालाहांडी जिले के टी० बी० सेनेटोरियम के लोगों के बी० सी० जी० के टीके लगाने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उड़ीसा राज्य में बी० सी० जी० के टीके लगाने का काम अक्टूबर, १९५३ में ही आरम्भ किया गया था । मैं उन लोगों की संख्या आपको बता

ही चुकी हूं जिनके बी० सी० जी० के टीके लगे हैं और जिनका क्षय रोग परीक्षण हो चुका है। मैं इतनी ही सूचना दे सकती हूं।

डा० नटवर पांडे : क्या राज्य के जिलेवार आंकड़े दिये जा सकते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में टी० बी० का जोर बढ़ रहा है, सरकार को सारे लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगवाने में कितना समय लगेगा ?

श्रीमती चन्दशेखर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

चावल उगाने का जापानी तरीका

***२१६०. श्री संगण्णा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समस्त राज्य सरकारों से अगले मौसम में धान उगाने के जापानी तरीके का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिये कहा गया है ; तथा

(ख) इसके फलस्वरूप कितने एकड़ भूमि पर खेती की जाने लगेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) १९५४ के लिये प्रत्यक राज्य के सम्बन्ध में जो लक्ष्य निश्चित किये गये हैं, उनका एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या २१]**

श्री संगण्णा : क्या सारे देश में जापानी तरीके से कृषि करने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा करना तो कठिन होगा, इससे अतिरक्ति अनाज की समस्या खड़ी हो जायगी और वर्तमान स्थिति में और ज्यादा गड़बड़ हो जायगी। इस समय सरकार का ऐसा करने का इरादा नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कुछ रुपया प्रान्तीय सरकारों को देने का इरादा रखती है जो सिर्फ इसी काम में खर्च हो और दूसरे काम में खर्च न हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसमें हम खाली दो तीन तरह की मदद करते हैं, एक तो जो हमारे पास पब्लिसिटी मैटीरियल है वह काफी तादाद में, जिसको जितना चाहिये, उतना देते हैं। इसके अलावा १० हजार टन बाहर से आया हुआ और साढ़े बारह हजार टन अपने देश का फ़र्टिलाइज़र ऐमोनियम सल्फेट देते हैं। इसके अलावा और कोई मदद हम नहीं देते हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : चूंकि सरकार इस जापानी तरीके को इतना बढ़ावा दे रही है, मैं जानना चाहता हूं कि यदि भारतीय तरीक़े को बढ़ावा देने पर भी उतना ही रुपया खर्च किया जाये तो पैदावार में प्रति एकड़ कितनी वृद्धि होगी ?

डा० पी० एस० देशमख : जापानी तरीक़े से पैदावार बहुत ज्यादा होती है और उसके मुक़ाबिले में यह वृद्धि नहीं के बराबर होगी।

श्री एन० एल० जोशी : वर्ष १९५३ में किस राज्य में सब से अधिक भूमि क्षेत्र में जापानी तरीके को काम में लाया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं, परन्तु, जहां तक मुझे याद है, पश्चिमी बंगाल और हैदराबाद में ही सबसे बड़े क्षेत्र थे।

त्रावणकोर-कोचीन के लिए चावल का नियतन

*२१६१. **श्री अच्युतन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य को वर्ष १९५४ के लिये आन्तरिक उत्पादन तथा आयात किये गये स्टाक में से कुल कितना चावल नियत किया जायगा ; तथा

(ख) इस में से कितनी मात्रा सस्ते दामों पर बेचे जाने के लिये राज्य को आर्थिक सहायता दी जायगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) इस मात्रा की कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है, परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि राज्य की सारी जरूरतें केन्द्र द्वारा दिये गये चावल से पूरी हो जायेंगी ।

(ख) त्रावनकोर-कोचीन में सरकारी दुकानों से चावल छः औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से सहायता-प्राप्त मूल्य पर दिया जाता है । इससे ज्यादा मात्रा आर्थिक रूप से उचित मूल्य पर दी जायेगी । सहायता-प्राप्त मूल्य पर बेचने के लिये साल में जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उसका अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह उसकी निकासी पर निर्भर करेगा ।

श्री अच्युतन : आयात किये गये चावल का तथा भारत में समाहृत चावल का अलग अलग प्रति मन मूल्य कितना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : त्रावनकोर-कोचीन में हम छः औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो चावल देते हैं वह १७ पये मन की दर से देते हैं ।

श्री अच्युतन : क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि यदि वह चावल वर्तमान दर पर बेचते जायं तो चालू वर्ष में २ करोड़ पये से ऊपर जितना नुकसान होगा उसे वह पूर्ण रूप से स्वयं उठाने के लिये तैयार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने उनसे कह दिया है कि वह जितना चाहें खा सकते हैं । कुल मात्रा इस पर निर्भर है कि इस वर्ष वे कितना खाते हैं । इसका हिसाब वर्ष के अन्त में ही लग सकेगा ।

श्री ए० एम० टामस : क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में त्रावनकोर कोचीन राज्य की वर्तमान सरकार को आन्तरिक समाहार बन्द कर देने के लिये अनुमति दे दी है ? क्या यह अनुमति खाद्य स्थिति में सामान्य सुधार के कारण दी गई है अथवा वर्तमान सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष अभ्यावेदन के फलस्वरूप दी गई है या कि पिछली सरकार द्वारा भी ऐसा कोई अभ्यावेदन किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : त्रावनकोर-कोचीन में बहुत कम चावल का ही समाहार किया जाता था । उदाहरण के लिये वहां कुल २७,००० टन का समाहार किया गया है जब कि हम उन्हें ३,३०,००० टन दे चुके हैं । हम जो मात्रायें उन्हें देते थे, उनके मुकाबले में वहां बहुत कम समाहार होता था । समाहार का मतलब काश्तकारों को परेशान करना है । त्रावनकोर-कोचीन में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को प्रोत्साहन देने और चावल के मामले में उसे स्वावलम्बी बनाने के लिये ही काश्तकारों को यह रियायत दी गई है ताकि वे नियंत्रण की कष्टदायक बातों से बच सकें । इस लिये हमारी नीति यही रही है कि जहां भी सम्भव हो अनिवार्य समाहार प्रणाली हटा दी जाय ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को पता है कि छः औंस की निश्चित मात्रा से तीन औंस चावल और ज्यादा लिया तो जा सकता

है परन्तु क्रय शक्ति के अभाव के कारण बहुत से व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकते ? तो क्या सरकार कम दामों पर और ज्यादा चावल देने का विचार रखती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने छः औंस चावल उसी दाम पर देना मंजूर कर लिया है । इसके अलावा भी वे जितना चावल चाहें खरीद सकते हैं परन्तु वह २२ रुपया ८ आना प्रति मन के आर्थिक मूल्य पर दिया जायेगा ।

काजू प्रयोगात्मक फार्म

*२१६३. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मालाबार और त्रावनकोर-कोचीन में काजू के प्रयोगात्मक फार्म चलाने के लिये सरकार ने कोई अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ;

(ग) इन फार्मों में अब तक कितना काम हुआ है ;

(घ) खर्चे पर केन्द्र का नियंत्रण किस प्रकार है का है ; तथा

(ङ) काजू की खेती को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां । मद्रास का प्रयोगात्मक स्टेशन मंगलोर में स्थित है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने त्रावनकोर-कोचीन के लिये २६,२८० रुपये तथा मद्रास के लिये ३९,७२० रुपये मंजूर किये हैं ।

(ग) इन प्रयोगात्मक स्टेशनों की प्रगति-रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) अनुदान की शर्तों के अनुसार सम्बद्ध राज्य का महालेखापाल खर्चे की परीक्षा करता है तथा वह प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान को उसी काम के लिये प्रयोग में लाया गया है जिसके लिये उसे मंजूर किया गया था ।

(ङ) यह विचाराधीन है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पड़ताल करवाई है कि किस प्रकार की भूमि काजू की खेती के लिये उपयुक्त है तथा ऐसी कितनी भूमि खेती के लिये उपलब्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पूरी तरह से कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है क्योंकि इन प्रयोगात्मक स्टेशनों पर यह मालूम किया जा रहा है कि काजू की खेती के लिये किस कार को भूमि सबसे उपयुक्त है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि दामोदर घाटी निगम के भूमि कटाव निरोधक गवेषणा सेक्शन द्वारा काजू के पेड़ों के बारे में जो प्रयोग किया गया है उससे पता लगा है कि जिस भूमि पर और कोई लाभदायक पेड़ नहीं लगाये जा सकते वहां पर काजू की खेती बहुत सफलता से की जा सकती है, और, यदि हां, तो क्या उस प्रयोग के परिणाम से हमें परिचित कराने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इन प्रयोगों का पता है और मैंने उन्हें स्वयं देखा है । जहां तक सम्भव है हम उन्हें प्रोत्साहन देने का विचार रखते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम काजू के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, क्या सरकार ने इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही की है ? उदाहरण के लिये, हम ५०,००० टन बाहर से आयात कर रहे हैं । देश में काजू

की खेती बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई विशेष कदम उठाया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इस बात का अनुभव करते हैं कि काजू के पेड़ लगाने की आवश्यकता है तथा इस दिशा में पर्याप्त रूप से सक्रिय कार्यवाही करने का विचार है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह मालूम है कि त्रावनकोर-कोचीन में प्रति वर्ष प्रति पेड़ पैदावार केवल २० पौंड बनी रही है जब कि त्रावनकोर-कोचीन के बाहर यही पैदावार २५ और ३० पौंड है ? त्रावनकोर-कोचीन के काजू वाले क्षेत्र में प्रति पेड़ पैदावार बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई विशेष कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे माननीय मित्र ने अपने प्रश्न के पहिले भाग में जो सूचना दी है उसको मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है यह प्रयोग और गवेषणा उसी उद्देश्य से की जा रही है ।

श्री एम० डी० जोशी : बम्बई में काजू की खेती बढ़ाने के सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिन स्थानों पर गवेषणा की जा रही है उनमें से एक स्थान बम्बई राज्य के रत्नागिरि जिले में स्थित है ।

देशी औषधियां

*२१६४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मवेशियों की बीमारियों में ग्वाले और किसान जो जड़ी बूटी या देशी औषधियां खिलाते हैं क्या उन्हें सूचीबद्ध करने का कोई प्रयास किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने लगभग ८०० देशी औषधियों के नुस्खे जमा किये हैं जिनका प्रयोग मवेशियों की बीमारियों में किया जाता है । जमा किये गये नुस्खों के प्रयोग किये जाने की उपयुक्तता के बारे में सलाह देने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की गई है । उस उपसमिति द्वारा कुछ लाभदायक नुस्खे चुन लिये गये हैं तथा अवयवभूत औषधियों के सही वैज्ञानिक नामों का सत्यापन भी कर लिया गया है । नियंत्रित परिस्थितियों के अन्तर्गत गवेषणा स्टेशनों, पशु-चिकित्सा अस्पतालों और सरकारी फर्मों में चुने हुए नुस्खों का व्यावहारिक परीक्षण करने की योजना बनाई जा रही है तथा उप-समिति की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार का विचार अब तक संग्रह की गई सूचना तथा नये प्रयोगों के परिणामों को प्रकाशित करने का है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब कभी भी हम परिणामों को प्रकाशित करना ठीक समझेंगे, तब अवश्य कर देंगे ।

श्रीमती जयश्री : किन किन गवेषणा स्टेशनों पर देशी औषधियों के बारे में गवेषणा की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक या दो स्थानों पर ऐसा किया जा रहा है । मेरे विचार में ऐसा इज्जत नगर गवेषणा संस्था में किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि हिमालय के जंगलों में जो भांति भांति

की मूल्यवान जड़ीबूटियां होती हैं उनकी मात्रा और श्रेणी में उचित विकास करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे माननीय मित्र ने जो सूचना दी है उसको समिति अवश्य ही ध्यान में रखेगी तथा उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करेगी ।

कोथागुदम कोयला खान दुर्घटना

***२१६५. श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि २ अप्रैल, १९५४ को हैदराबाद में कोथागुदम कोयला खान में दुर्घटना के फलस्वरूप पांच खनिक मारे गये ?

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : श्रीमान्, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस सम्बन्ध में उस रिपोर्ट के आधार पर एक व्यापक विवरण अगले सप्ताह देने के लिये तैयार हूं जो कि फैक्टरियों के मुख्य निरीक्षक द्वारा भेजी गई है । अतः मेरे विचार में यह उत्तर उस विवरण का केवल एक छोटा सा भाग होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप का उद्देश्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर आगे के लिये उठा रखा जाय?

श्री वी० वी० गिरि : अन्यथा मैं उत्तर पढ़ दूंगा ; लेकिन यह उस विवरण का एक छोटा सा भाग होगा जो कि मैं अगले सप्ताह देने का वचन देता हूं, और यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इसे पढ़ दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस को स्थगित कर देना ही ठीक होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है तथा वह विवरण को पटल पर रख देंगे ।

नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन

***२१६६. श्री राधा रमण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की योजना की विस्तृत बातें अब उपलब्ध हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षा कमरों और जलपान कमरों जैसी सुविधाओं के अलावा नई इमारत में बड़े बड़े प्रतीक्षा कमरों, अच्छी दूकानों और टहरने के कमरों की व्यवस्था होगी । तांगों, टेक्सियों, निजी कारों तथा साइकिलों के रखने की भी व्यवस्था होगी ।

श्री राधा रमण : सरकार का विचार इसके पुनर्निर्माण पर अधिक से अधिक कितनी राशि व्यय करने का है तथा क्या यह काम समाप्त करने के सम्बन्ध में भी कोई समय-सीमा रक्खी गई है ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार इस पर लगभग २० लाख रुपये व्यय करेगी तथा सारा का सारा स्टेशन लगभग दो वर्षों में बन कर तैयार हो जायेगा ।

श्री राधा रमण : जब यह स्टेशन बन कर तैयार हो जायेगा तो यह वर्तमान स्टेशन से किस प्रकार भिन्न होगा ? क्या इस निर्माण कार्य का आसपास वाले क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

श्री शाहनवाज खां : नई दिल्ली स्टेशन जो सुविधायें इस समय उपलब्ध हैं वे [illegible] अपर्याप्त समझी जा[illegible]

विचार किया जाता है कि वे बढ़ते हुये यातायात के लिये काफी नहीं हैं। इसीलिये समूचे स्टेशन को फिर से बनाया जा रहा है ताकि उस में काफी स्थान हो तथा वास्तव में भारत की राजधानी के उपयुक्त हो।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : जब तक माननीय सदस्यों से कहा न जाय तब तक वे अपने आप प्रश्न न पूछने लगें क्योंकि ऐसा करने से गड़बड़ी फैल जाती है।

श्री राधा रमण : क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के अन्य स्टेशनों अर्थात्, जैसे शहादरा, सब्जीमंडी और किशनगंज की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है तथा क्या सरकार का विचार पहली पंच वर्षीय योजना की अवधि में इनमें से किसी का पुनर्निर्माण करने का है ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार को यह भली भांति ज्ञात है कि अनेक स्टेशनों पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन हम ऐसा प्राथमिकता के अनुसार कर रहे हैं, अर्थात्, सब से महत्वपूर्ण चीज़ पहले आ रही है।

श्री बंसल : माननीय सदस्य के प्रश्न के एक भाग का सम्बन्ध इस बात से था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निर्माण-कार्यों का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर पड़ेगा या नहीं, लेकिन इसका माननीय मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आसपास के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं, और, यदि हां, तो उन क्षेत्रों में रहने वाले भू-स्वामियों का क्या होगा ?

श्री शाह नवाज खां : हमारे विचार में इसका आसपास के क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी हेर फेर किया जायगा वह वर्तमान इमारत और विशेष अवसरों पर प्रयोग किये जाने वाले प्लेटफार्म में किया जायेगा।

चीनी संस्था कानपुर

*२१६७. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी संस्था की शाखा को कानपुर से दिल्ली लाने का विचार है ?

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें इस प्रस्थापना के अनुसार दिल्ली आना पड़ेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) १२।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस संस्था के कार्य क्या हैं और यह कानपुर में कब से कार्य कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह काफी पुरानी संस्था है और मैं नहीं बता सकता कि इस ने कानपुर में कब कार्य आरम्भ किया था यह चीनी की टेकनोलोजी का कार्य करती है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या कानपुर से कर्मचारियों के निर्गमन के कारण दिल्ली में गृहव्यवस्था की समस्या और न बढ़ जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी और हम बहुत शीघ्र मकान बना रहे हैं।

श्री सी० डी० पांडे : क्या इसको कानपुर से दिल्ली लाने की प्रस्थापना सरकार द्वारा घोषित इस नीति के अनुसार है कि दिल्ली में स्थित कार्यालयों को, चाहे वे कितने भी छोटे हों, विकेन्द्रित करना चाहिये

डा० पी० एस० देशमुख : जांच करने पर हमें पता चला है कि नीति में कुछ परिवर्तन के फलस्वरूप, जहां तक इस धार

का सम्बन्ध है दोहरा कार्य होने की संम्भावना है । यह बहुत बड़ा कार्यालय नहीं है और जो बारह व्यक्ति यहां लाये जायेंगे संभवतः वर्तमान संख्यकीय शाखा विभाग में ही रखे जा सकेंगे

श्री सिंहासन सिंह : सरकार ने इस संस्था को कानपुर से दिल्ली लाने का निर्णय किन विचारों से किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे संदेह है कि माननीय सदस्यों के मन में कुछ शंकाएं हैं । हम सारी संस्था को यहां लाने का विचार नहीं कर रहे हैं । कार्य का एक भाग जो वहां किया जाता था वह चीनी खंडसार और गन्ने के सम्बंध में केवल आंकड़ों सम्बंधी कार्य है, जिस के बारे में हमारा विचार है कि वह कार्य मंत्रालय के लिए तुरन्त उपलब्ध रहना चाहिये । इस कार्य का कुछ भाग वर्तमान विभाग में भी किया जाता है । दोहरे काम से बचने के लिए हम दोनों विभागों को मिला रहे हैं । संस्था कानपुर में ही रहेगी । इसे भदरुक ले जाने का विचार था परन्तु हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्थापना मिली है कि वे इसे कानपुर में ही रखना चाहते हैं ।

श्री एस० एल० अग्रवाल : इस स्थानान्तरण से कानपुर में संस्था की सम्बंधित कार्यवाहियों पर बरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि इस से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

*२१६८. **पंडित लिंगराज मिश्र** : (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय राजपथ सं० ५ पर सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, बिरुंगुआ और महानदी नदियों पर सड़क के पुल बनाने के लिये कोई प्राक्कलन और योजनाएं तैयार हो रही हैं ?

(ख) क्या इन परियोजनाओं में से कुछ को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कार्यान्वित करने का विचार है ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). सुवर्णरेखा नदी राष्ट्रीय राजपथ सं० ५ (मद्रास कलकत्ता सड़क) पर से नहीं गुज़रती तो भी यह राष्ट्रीय राजपथ सं० ६ (कलकत्ता-नागपुर-बम्बई सड़क) पर से, उस स्थान के समीप से गुज़रती है जहां यह राजपथ राष्ट्रीय राजपथ सं० ५ से मिलता है और वहां पहले ही एक पुल बनाया जा रहा है । बाकी के पुलों की रचना प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

श्री लिंगराज मिश्र : क्या यह निर्णय करने के लिए कि इन पुलों को ठीक किस स्थान पर बनाया जाय कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया था ?

श्री अलगेशन : दो नदियों पर पुल बनाने के बारे में सर्वेक्षण का काम वर्तमान कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ताकि दूसरी पंच वर्षीय योजना काल में इन्हें तैयार करने के लिए पुलों का डिज़ाइन ठीक समय पर बन सके ।

क्रालर ट्रेक्टर

*२१६९. **श्री बी० सी० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९ से कितने भारी और मध्यम कोटि के क्रालर ट्रेक्टर खरीदे गये और केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था को दिये गये ;

(ख) उन में से कितने अब प्रयोग में लाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या उन में से कुछ भारतीय परिस्थितियों में अनपयक्त पाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) २७२ भारी और ३५ मध्यम कोटि के ट्रेक्टर।

(ख) सब का प्रयोग किया जा रहा है। २७८ केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था के पास हैं और ११ उन फारमों में हैं जिन में यंत्रों द्वारा कृषि होती है और जिन्हें इस मंत्रालय ने स्थापित किया है। १६ भोपाल सरकार के पास हैं और २ विंध्य प्रदेश सरकार के पास जिन्हें इन की बहुत आवश्यकता थी।

(ग) नहीं श्रीमान्।

श्री बी० सी० दास: क्या यह खरीद संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक द्वारा की गई थी और क्या इन्हें खरीदने से पूर्व किसी विशेषज्ञ का मत लिया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह विषय पांच वर्ष पुराना है और मुझे जानकारी नहीं कि ये कैसे प्राप्त किये गये और किस प्रणाली का पालन किया गया। माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते थे कि क्या इनका प्रयोग किया गया था और मैं ने यह जानकारी दे दी है।

श्री बी० सी० दास: जो क्रॉलर ट्रेक्टर खरीदे गये थे उन का मूल्य क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे खेद है कि मेरे पास जानकारी नहीं है परन्तु में माननीय सदस्य को यह जानकारी बाद में देने को तैयार हूं।

डा० राम सुभग सिंह: जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का सम्बन्ध है उसके उत्तर से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सरकार इन ट्रेक्टरों का आयात करती रहेगी जो कि भारत की परिस्थितियों में अनुपयक्त प्रमाणित हो रहे हैं अथवा वे ऐसा प्रबंध करेंगे कि हल्के ट्रेक्टरों और अन्य सामग्री का निर्माण यहां पर ही हो ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे विश्वास है कि हम ऐसी कोई वस्तु आयात नहीं करेंगे जो अनुपयुक्त हो। वस्तुतः भाग (ग) का जो उत्तर दिया गया है वह नकारात्मक है अर्थात् वे अनुपयुक्त नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें

*२१७०. **श्री आर० एन० मिश्र:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में चीनी मिलों के क्षेत्रों में इस वर्ष १९५२-५३ की तुलना में कितना गन्ना उगाया गया; और

(ख) १९५३–५४ में गन्ना कितने दिनों तक पेरा गया और १९५२–५३ में कितने दिनों तक ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

श्री अलगू राय शास्त्री: इसके इकट्ठा करने में कितना वक्त लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न आरम्भ किया जाए।

ट्रेक्टरों की मरम्मत

*२१७१. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि देश में ट्रेक्टरों के आयातकों और व्यापारियों ने ट्रेक्टर बेचने के पश्चात् अपने बेचे हुए ट्रेक्टरों की मरम्मत सम्बंधी सुविधाओं के लिए, पुर्ज़ों का संभरण करने के पर्याप्त प्रबंध नहीं किये ; और

(ख) ट्रेक्टर खरीदने वालों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये हैं, अथवा किये जाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ट्रेक्टर स्वामियों की ओर से ऐसी शिकायतें मिली थीं कि ट्रेक्टरों के आयातकों के पास पर्याप्त पुर्ज़े नहीं होते और कभी कभी उन के ट्रेक्टरों की मरम्मत के प्रबंध संतोष जनक नहीं होते ।

(ख) ट्रेक्टरों के लिए वर्तमान आयात नीति के अधीन यह आवश्यक है कि आयातक मरम्मत की सुविधाओं का पर्याप्त प्रबंध करें, मरम्मत के लिए प्रशिक्षित इंजीनियर रखें, और वस्तुतः आयात किये गये ट्रेक्टरों के मूल्य के कम से कम १५ प्रतिशत के मूल्य वाले पुर्ज़ों का आयात करें । क्योंकि ऐसी शिकायतें मिली हैं ट्रेक्टरों के आयातकों और व्यापारियों ने पुर्ज़ों के संभरण और बेचे गये ट्रेक्टरों के लिए, बिक्री के पश्चात् मरम्मत की सुविधाओं का अपर्याप्त प्रबन्ध किया है, इसलिये विषय की जांच कर के सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है । उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या ट्रेक्टरों के मालिकों को समय पर कौशलपूर्ण मरम्मत की सुविधा देने के लिये सरकार का देश के विभिन्न भागों में केन्द्र खोलने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ठीक इसी शिकायत को दूर करने के लिए यह समिति नियुक्त की गई थी और सरकार की यह इच्छा है कि ट्रेक्टर के मालिकों के लिए अच्छी मरम्मत की सुविधाएं और पुर्ज़े उपलब्ध हों ।

श्रीमती ए० काले : यह समिति कब नियुक्त की गई और इसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : समिति की गत बैठक दो तीन दिन हुए हुई थी ।

श्रीमती ए० काले : मैं जानना चाहती थी कि यह कब नियुक्त की गई थी ।

डा० पी० एस० देशमख : यह गत वर्ष किसी समय नियुक्त की गई थी । मुझे ठीक तिथि का पता नहीं ।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार ने कोई प्रयत्न किया है कि ये पुर्ज़े भारतीय इंजीनियरिंग सार्थों द्वारा निर्माण किये जाएं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार इस विषय पर विचार कर रही है और जहां कहीं संभव हो हम कुछ पुर्ज़ों का निर्माण कर लेते हैं परन्तु हम ने इसे नियमित रूप से आरंभ नहीं किया है ।

मैं वह तिथि बता सकता हूं जब समिति नियुक्त की गई थी, वह ११ फरवरी १९५३ है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था

***२१७२. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सफदरजंग में बनाए जाने वाले अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के भवन के लिए डिज़ाइन और प्राक्कलन मिल गये हैं ;

(ख) कितने डिज़ाइन मिले हैं ; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरंभ होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी हां ।

(ख) ४३

(ग) आशा है कि हम इस शरद ऋतु के आरंभ में काम शुरू करेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : प्रस्तुत की गई ४३ डिज़ाइनों में से, निर्माण के लिये कौन सी डिज़ाइन चुनी गई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : दो निदर्शक जो चुनाव करने के लिये नियुक्त किये गये

हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, अभी तक उनका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : प्राक्कलित लागत क्या है ?

राजकुमारी अमृतकौर : अनावर्तक लागत ४०१.५३ लाख रुपया तथा आवर्तक लागत १२६.५५ लाख रुपया है ।

श्री कासलीवाल : क्या अनेक कारणोवश जिनमें से एक सम्बन्धित लोगों के साथ लम्बी-चौड़ी वार्ता है, इस अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था की स्थापना में अत्यधिक विलम्ब हो गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : पहले तो इसमें डेढ़ वर्ष का विलम्ब इस कारण हो गया कि इर्विन अस्पताल को केन्द्र बनाने की मूल योजना को दिल्ली की राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया और इसलिये हमें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा ।

डा० रामा राव : इस संस्था के बनवाने में जितना विलम्ब हुआ है, इसको दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार इस संस्था के बन जाने से पूर्व ही मुख्य चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर देने का विचार रखती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : ऐसा सम्भव नहीं है

स्टीम टग "चीअरफुल"

*२१७३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट का "चीअरफुल" नाम का ३० टन का एक स्टीम टग अभी हाल में उलट कर डूब गया था ;

(ख) क्या इस टग को निकाल लिया गया है ; तथा

(ग) इस घटना के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख) . जीहां ।

(ग) जिस समय एस० एस० 'कार्थेज' को बैल्लार्ड पत्तन पर उतरती धारा में, २२ फरवरी, १९५४, को तट पर लगाया जा रहा था तो बम्बई पोर्ट ट्रस्ट का स्टीम टग "चीअरफुल", जो उक्त पोत की 'पोर्ट क्वार्टर लाइन' के अति निकट आ रहा था उलट कर डूब गया । टग का प्रभारी सरांग मारा गया किन्तु चालक मंडली के शेष ८ सदस्य बचा लिए गए ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि पोत से बंधी हुई रस्सी के टूट जाने से यह दुर्घटना हुई ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी नहीं, रस्सी नहीं टूटी थी । वास्तव में, अच्छा ही होता जो वह टूट जाती, क्योंकि उस दशा में यह दुर्घटना न घटती ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि उसी स्थान पर इसी प्रकार की दो दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं; और यदि यह सत्य है तो सरकार ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह सत्य है कि पहले भी कुछ एक दुर्घटनाएं इसी स्थान पर हो चुकी हुई हैं । पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारी इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं । जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है नियमित रूप से जांच करवाई जाती है तथा कारणों का पता चलाया जाकर यथेष्ट कार्यवाही की जाती है ।

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि

*२१७४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत बिहार में १९५२ तथा १९५३ में क्या क्या काम हाथ में लिए गए ?

(ख) उन में से कितने पूर्ण हो चुके हैं ?

(ग) क्या खानों के पास कुएं भी खोदे गए और श्रमिकों के लिए क्वार्टर भी बनवाए गए ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो कितने और कहां कहां ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ग) कुएं खोदे गए हैं किन्तु क्वार्टर नहीं बनाए गए ।

(घ) तीन कुएं, एक खलाक टाम्बी में, एक घोराकोला में और एक साफी में ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : इन कुओं की अनुमानित लागत क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : तीनों कुओं की अनुमानित लागत १५,००० रुपये है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि ठीक इसी क्षेत्र में वन विभाग एक कुएं की स्वीकृति २,५०० रुपये की लागत पर देती है, जिला बोर्ड १,५०० रुपये पर देता है और विकास निधि के अन्तर्गत एक कुएं की स्वीकृति २,००० रुपये पर दी जाती है, और यदि यह सत्य है तो इन तीन कुओं पर इतना अधिक व्यय क्यों हुआ है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं अवश्य इस विषय की जांच कराऊंगा ।

श्री पी० सी० बोस : अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि सम्बन्धी उपकर से औसत वार्षिक प्राप्ति क्या हो जाती है ? अवशेष राशि कितनी है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह आय भिन्न वर्षों में भिन्न रही है । इस सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

१९४६–४७	३,२२,७५७	रुपये
१९४७–४८	९,३१,७४७	,,
१९४८–४९	८,१९,८७१	,,
१९४९–५०	११,१८,३३०	,,
१९५०–५१	२४,८९,०००	,,
१९५१–५२	२४,०९,०००	,,
१९५२–५३	९,०४,०००	,,

श्री पी० सी० बोस : इस समय शेष राशि क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे खेद है कि मेरे पास यह आंकड़े इस समय नहीं हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : यह सामान्य अनुभव की बात है कि अभ्रक की खानें कोयला खानों की तरह नहीं हैं । यह अभ्रक की खानें पांच, दस या पन्द्रह वर्ष में समाप्त हो जाती हैं । ऐसी अवस्था में इन स्थायी कामों अथवा अधिक लागत वाले कुओं पर इतनी अधिक राशि क्यों खर्च की जाती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

श्रीमती ए० काले : यह निधि किस उपयोग में लाई जाएगी ?

श्री वी० वी० गिरि : कल्याण कार्य जैसे चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएं तथा पीने के पानी के संभरण सम्बन्धी सुविधाएं, इत्यादि ।

फैक्टरियों का पंजीपन

*२१७६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फैक्टरी अधिनियम, १९४८, की धारा ६(३)के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा, १९५३-५४ में, प्राप्त तथा निर्णीत अपीलों की कुल संख्या ;

(ख) कितने प्रकरणों में प्रारम्भिक आदेश को (१) उलट दिया गया तथा (२) उस में रूप भेद कर दिया गया; तथा

(ग) अपैल्लांट किन उद्योगों से सम्बन्धित हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) कोई नहीं ।

(ख) तथा (ग) . उत्पन्न नहीं होते ।

पीलीभीत में बस्तियां बसाने की योजना

*२१७७. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में बस्तियां बसाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ख) यदि हैं, तो इन्हें किस जगह पर बनाने का विचार है तथा इसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र आ जायगा ?

(ग) इस योजना के उद्देश्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में कार्यप्रगति क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह योजना लखीमपुर खेडी तथा पीलीभीत ज़िलों में क्रियान्वित करने का विचार है, तथा इस के अन्तर्गत ५०,००० एकड़ कृषि योग्य पड़ती भूमि पर कृषि होगी ।

(ग) उद्देश्य तो यह है कि बहुत से शिक्षित बेकारों को, इस भूमि पर, जो कि पंचवर्षीय योजना की कालावधि में ही आबाद की जायगी, बसाया जाये । यह योजना हाल ही में वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को पेश की गई है तथा अब सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या इस योजना को केन्द्रीय सरकार क्रियान्वित करेगी अथवा राज्य सरकार ?

डा० पी० एस० देशमुख : उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है, जहां तक झाड़ियों आदि को साफ करवाने का सम्बन्ध है, यह काम केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा किया जायगा ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस योजना की प्राक्कलित लागत क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उत्तर प्रदेश सरकार ने १९५४–५५ के दौरान में ७९.५ लाख रुपये का ऋण तथा २६ लाख रुपये का अनुदान मांगा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन इलाकों के शिक्षित बेकार युवक इस कालोनी में बसाये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने इस बात का निश्चय नहीं किया है कि वह किन क्षेत्रों से आ जायेंगे ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इन ज़मीनों पर कितने शिक्षित बेकार युवकों को बसाया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : योजना के अनुसार इस से लगभग ४,००० व्यक्तियों को काम मिलेगा जिन में से कि लगभग एक सौ ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट होंगे, २४० डिपलोमा रखने वाले होंगे, १,२०० प्रवीण तथा अर्ध प्रवीण कमकर होंगे तथा ३००० अप्रवीण कमकर होंगे ।

मणिपुर से पशुओं का निर्यात

*२१७८. **श्री रिशांग किशिंग : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ दिसम्बर,

१९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि मणिपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से पशुओं का और अधिक निर्यात बंद किया जाय ; तथा

(ख) क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन पेश किया है कि उन्हें निश्चित कोटा निर्यात करने की अनुमति दी जाये ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां । डिपटी कमिश्नर की इस रिपोर्ट पर कि अब कोई फालतू पशु नहीं रह गए हैं, सलाहकार परिषद् ने १५ जनवरी, १९५४ को मणिपुर से और अधिक पशु निर्यात करने पर पाबन्दी लगा दी है ।

(ख) चार अभ्यावेदन प्राप्त किये गए थे जो कि रद्द किये गए ।

श्री रिशांग किशिंग : बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से सरकार शुरू शुरू में कितने पशु निर्यात करवाने का विचार रखती थी तथा उन में से कितने निर्यात किये गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : दिसम्बर, १९५३ में उस राज्य से पशुओं के निर्यात के लिए १४९ परमिट दिये गए थे । इन परमिटों पर दिसम्बर १९५३ से लेकर जनवरी १९५४ तक २८७ पशु निर्यात किये गए ।

श्री रिशांग किशिंग : बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से पशु निर्यात की अनुमति देने में सरकार का उद्देश्य क्या था, तथा यह निर्यात क्यों एकाएक बंद किया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिस समय पशुओं को निर्यात करने की अनुमति दी गई थी उस समय वह वहां ज़रूरत से ज्यादा समझ गए थे ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सत्य है कि जिन व्यक्तियों को परमिट मिले हैं उन्हों ने पहले ही अपना आवंटित कोटा प्राप्त किया है तथा वह उनके पास अब बेकार पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : शायद यह एक सही बात होगी ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

*२१५१. **श्री एम० डी० रामस्वामी (श्री मुनिस्वामी की ओर से)** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, १९५४ तक दक्षिण रेलवे के कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गए हैं; तथा

(ख) कर्मचारियों की क्वार्टरों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ठीक ठीक संख्या का पता लगाया जा रहा है ; तथा सूचना सदन पटल पर रखी जायगी ।

(ख) रेलवे विभाग की नीति यह है कि ऐसे स्टेशनों पर क्वार्टर बनाये जायें जहां कि निजी आवास सुविधाओं का गम्भीर अभाव हो अथवा जहां कि ऐसे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर बनाने की आवश्यकता हो जिन्हें कि अपने कार्य स्थान के समीप ही रहना पड़ता है । दक्षिण रेलवे क्वार्टरों के निर्माण पर प्रतिवर्ष ६० लाख रुपये व्यय करती है तथा इसका अधिकांश भाग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण पर खर्च किया जाता है ।

श्री एन० एल० जोशी : चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये जाते हैं, क्या उन्हें कोई मकान किराया

भत्ता दिया जाता है, यदि दिया जाता है तो कितना ?

श्री शाहनवाज खां : प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को जिसे कि क्वार्टर नहीं दिया जाता है, मकान किराये का भत्ता दिया जाता है । इस मामले में मुझे ठीक ठीक राशि मालूम नहीं ।

डाक कर्मचारियों के लिए समय परीक्षण

***२१७५. श्री एम० डी० रामस्वामी** (**श्री मुनिस्वामी** की ओर से) : (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने डाकखानों में क्लर्कों के समय-परीक्षण पर पुनर्विचार करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया है ?

(ख) क्या इस अधिकारी ने अपना काम समाप्त किया है तथा सरकार को एक रिपोर्ट पेश की है ?

(ग) क्या सरकार ने इस अधिकारी को निदेश दिए हैं कि वह डाकियों, छांटने वाले डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक समय-परीक्षा की व्यवस्था करे ?

(घ) यदि ऊपर भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) डाकखानों में काम करने वाले क्लर्कों के समय-परीक्षण पर पुनर्विचार करने के लिए १९५२ में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) (१) डाकियों तथा लैटर बाक्स चारासियों के सम्बन्ध में सामान्यत: डाक तथा तार नियमसार संग्रह (मेन्युवल) खण्ड ४ के नियम ५५२ के सिद्धान्त का अनुसरण किया जा रहा है—बड़े बड़े कस्बों आदि में उचित समन्वय सहित इसका अनुसरण किया जाता है । इस नियम के अन्तर्गत स्थान आदि की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ऐसे अधिकारियों को मैदानों में दस मील प्रतिदिन तथा पर्वतीय स्थानों पर आठ मील प्रतिदिन चलना अपेक्षित है । कुल उपस्थिति कम से कम आठ घंटे होनी चाहिये ।

(२) जहां तक छांटने वाले डाकियों का सम्बन्ध है वह उस समय परीक्षण में आ जाते हैं जो कि क्लर्कों के लिए निश्चित किया गया है ।

(३) जहां तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सामन्यत: प्रत्येक प्रस्थापना पर इसके गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुये विचार किया जाता है । प्रभाप निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु किसी एक प्रभाप को निश्चित करना सम्भव नहीं हो सका है ।

श्री ए० एम० टामस : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह रिपोर्ट किस प्रकार की है तथा क्या सरकार ने इस में दी गई सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह रिपोर्ट अभी विचाराधीन है ।

बम्बई गोदी श्रम बोर्ड

***२१६२. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** (क) **श्रम** श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई गोदी श्रम बोर्ड ने बम्बई गोदी कमकर (सेवा नियोजक विनियम) परियोजना, १९५१ के अन्तर्गत 'फोरमैन' तथा 'चार्जमैन' की श्रेणियों को रजिस्टर न करनेका निश्चय

किया है, यद्यपि यह श्रेणियां परियोजना की अनुसूची में शामिल हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बम्बई गोदी कमकर (सेवा-नियोजन विनियम) अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक ने बम्बई गोदी श्रम बोर्ड के नाम परियोजना का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है ?

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ग). एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ख) निरीक्षक ने १२ दिसम्बर, १९५३ को बोर्ड से प्रार्थना की है कि सारे फोरमैनों तथा चार्जमैनों को इस परियोजना के अन्तर्गत भर्ती किया जाना चाहिये। मैं यह कह दूं कि अन्तिम निर्णय करने के पूर्व यह विचार किया गया था कि बम्बई गोदी कर्मचारी संघ को विषय की चर्चा का अवसर दिया जाये। मुख्य श्रम आयुक्त ने सभी सम्बंधित दलों से इस पर चर्चा की, लेकिन वह अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। अब बम्बई में ३ और ४ मई को होने वाली गोदी कर्मचारी मंत्रणा समिति की सभा में इस विषय पर चर्चा की जायेगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंसपेक्टर ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि: इस समय मैं किसी भी बात की आशा नहीं कर सकता क्योंकि मंत्रणा समिति की बैठक ३ और ४ मई को हो रही है। यदि बाद में माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो मैं उन्हें पूरी जानकारी दूंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं इतना जान सकता हूं कि फोरमैन और चार्जमेन के वर्गों का पंजीयन न होने के क्या कारण थे और गोदी मजदूर बोर्ड के निर्णय के परोक्ष में क्या कारण था ?

श्री वी० वी० गिरि: किसी भी प्रकार के उत्तर से मामले को क्षति पहुंचेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा में धलाय खाल बांध

*२१५७. **श्री दशरथ देव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा में सोनमुरा के धलाय खाल बांध के सम्बंध में कोई जांच की गई थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): सितम्बर, १९५३ में प्राथमिक जांच की गई थी त्रिपुरा सरकार अब विस्तृत जांच का विचार कर रही है।

अक्रा स्पर

४५६. **श्री बर्मन:** (क) क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता पत्तन के आयुक्त इस वर्ष अक्रा स्पर (जिसकी सहायता से जहाजों का निर्माण किया जाता है) बनाने वाले हैं और यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितना बजट नियत किया गया है ?

(ख) यह विभागीय रूप में बनाया जा रहा है अथवा ठेका प्रणाली के माध्यम से इसका निर्माण हो रहा है ?

(ग) इस कार्य के लिये कुल कितनी मात्रा में पत्थरों की आवश्यकता है और किस क्षेत्र से पत्थर प्राप्त किये जा रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अक्रा स्पर का पहले से निर्माण किया जा रहा है । १९५३–५४ के लिये आयुक्त के निरीक्षित बजट प्राक्कलन में इस कार्य के लिये २० लाख रुपये का उपबंध है, और १९५४-५५ के लिये पूंजी बजट प्राक्कलन में १३·९२ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) पत्तन आयुक्तों ने काम को दो भागों में बांट दिया है —

(१) सामग्री समाहार ; और

(२) नदी में पत्थर भरना ।

दोनों कार्य ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे हैं ।

(ग) आठ लाख घनफुट ; ४ लाख घनफुट पाकुर से और पूर्वी रेलवे एजेंसी के माध्यम द्वारा उड़ीसा स्थित साधनों से ४ लाख घनफुट ।

ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण

४५७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्यों में ग्रामसेवकों और निरीक्षक कर्मचारी वृन्द के प्रशिक्षण के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र है, जिसके लिये फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा निधि नियत की गई है ; और

(ख) यदि है, तो अब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या राज्यवार और वर्ष वार कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) सदन-पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २४]**

ईख

४५८. **श्री एस० एन० दास :**
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९५३-५४ में सम्पूर्ण फैक्टरियों द्वारा कुल कितने परिमाण में ईख पेरी गई थी ;

(ख) पिछले वर्ष पेरी गई ईख की तुलना में यह परिमाण कितना है; और

(ग) १९५३-५४ में, राज्यवार, कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया और पूर्व वर्ष की तुलना में यह कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) और (ख). १९५३-५४ में, ३१ मार्च, १९५४ तक भारत की समस्त फैक्टरियों में पेरी गई ईख की मात्रा अनुमानतः २५·९४ करोड़ मन है जब कि पिछले वर्ष की समनुवर्ती अवधि में यह २८·९२ करोड़ मन थी । १९५२-५३ के पूरे मौसम में पेरी गई ईख की कुल मात्रा ३५·९२ करोड़ मन है । चालू वर्ष के आंकड़े मौसम के समाप्त होने के बाद ३० अक्टूबर, १९५४ को ही ज्ञात हो सकेंगे ।

(ग) अपेक्षित जानकारी बताने वाला विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २५]**

उपप्रादेशिक नौकरी दफ्तर

४५९. **श्री रूप नारायण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने उप-प्रादेशिक नौकरी दफ्तर खोले गये ह; और

(ख) ये दफ्तर किन किन तिथियों को, कहां कहां और किस आधार पर खोले गये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). विवरण पत्र सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध सं० २६**]

पड़ती भूमि

४६०. **श्री वाई० एम० मुक्णे** :
श्री नटवाडकर :
श्री बी० के० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में राज्यवार, १९५३ में कृषियोग्य पड़ती भूमि का विस्तार कितना है ; और

(ख) १९४९ से आज तक प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी कृष्ययोग्य पड़ती भूमि में खेती की गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना १९५०-५१ के लिये है । सदन-पटल पर रखे जाने वाले विवरण में यह दी गई है ।

(ख) सदन पटल पर रखे जाने वाले विवरण में जानकारी सन्निहित है । [**देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या २७**]

राष्ट्रीय उपवन

४६१. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय वन्य पशु बोर्ड ने पश्चिमी बंगाल की जलदपाड़ा सेंक्चुअरी को राष्ट्रीय उपवन के रुप में विकसित करने का सुझाव दिया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी, हां ।

डी० टी० एस० की बसें

४६२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी०टी० एस० की जो ८८ बसें, १९५३-५४ की रिपोर्ट में निकम्मी करार दी गई थीं, उनका क्या किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमत्री (श्री अलगेशन) : सरकार द्वारा मान्य नीलामी के माध्यम से उन बसों की सार्वजनिक नीलामी कर दी गई ।

मलेरिया

४६३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगी :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अधीन १९५२-५३ और १९५३-५४ में पंश्चिमी बंगाल की सरकार को कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्य २८**]

पश्चिमी बंगाल को "अधिक अन्न उपजाओ" अनुदान

४६४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १९५०-५१ से "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अधीन पश्चिमी बंगाल राज्य को प्रति वर्ष दिये गये ऋण और सहायता अनुदान की अलग-अलग रकम बताने की कृपा करेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जानकारी नीचे दी गई है :

वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर रकम (आंकड़े लाखों में)	
	ऋण	अनुदान
१९५०–५१	४९·६४	६१·६३
१९५१–५२	६९·९४	५९·१४
१९५२–५३	३८·६६	३७·२४
१९५३–५४	२५६·३२	२८·३२
कुल योग	४१४·५६	१८६·३३

पंजाब में नलकूएं

४६५. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को नल कुंए बनाने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) अब तक जो नल कुंए बन चुके हैं ; उनकी जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ग) १९५४ का कार्यक्रम क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) सम्बंधित जानकारी बताने वाला विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या २९**]

(ख) राज्य में अभी तक ३४४ नलकूप बन चुके हैं । सदन-पटल पर रखे जा रहे विवरण में इन नलकूपों का क्षेत्रवार वितरण दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या २९]**

(ग) १९५४ में राज्य में लगभग १५० नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम है ।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
३० अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
आवश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८८
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

पृष्ठ भाग

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण ३६१७–३६१८

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६१७

वित्त विधेयक—असमाप्त ३६१८–३६८८

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश—

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य ३६९०

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज ३६९०

वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत ३६९०–३७६२

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन ३७६३

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें ३७६३–३७६४

वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३७६४–३८६८

क्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सदन का कार्य ३८६९–३८७०

सरकारी विधेयकों का क्रम ३८७०–३८७२

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३८७२–३८८४

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित ३८८४–३९०४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३९०४

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९०५–३९२०

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९२०–३९३०

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—अमसाप्त ३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र–– ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक––पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक सभा

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९.०७ म० पू०

राज्य-परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि वेतनों के ऐच्छिक अभ्यर्पण (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक के बारे में राज्य-परिषद् को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदन-पटल पर रखे गए पत्र

कोसी परियोजना

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान् मैं २५ अप्रैल १९५४ को भारत सरकार तथा नैपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुए समझौते की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१३१/५४**]

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : श्रीमान्, १८ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२० के लिखित उत्तर में "आदिया समिति भू-खण्ड ज़िलों" शब्द गलती से छप गये हैं। अतएव तारांकित प्रश्न संख्या १२० के अन्तिम से पहले एक पैरे को इस प्रकार से पढ़ा जाय :

"भार परिमाप, जो सितम्बर, १९५३ के लगभग आरम्भ हुआ था तथा अभी तक हो रहा है, लखीमपुर तथा सब सागर ज़िलों के सम्बंध में समाप्त हो चुका है"।

सदन-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): मैं सदन-पटल पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत किये गये कुछ संशोधनों की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१३३/५४**]

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का प्रतिवेदन

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): मैं भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की वर्ष १९५१-५२ सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एस-१२३/५४]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही में गोली वर्षा

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कोथा रघुरामय्या तथा श्री नेहूर पी० दामोदरन द्वारा नियम संख्या २१५ के अन्तर्गत भेजी गई पूर्वसूचना को लेते हैं।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : भारत सरकार को प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, फ्रेंच इंडियन पुलिस ने कुछेक भारतीय नागरिकों पर जबकि वे माही की फ्रांसीसी बस्ती के चेरू कल्लेय क्षेत्र में से जा रहे थे, गोली चलाई। यह घटना २६ अप्रैल की रात को हुई। गोली चलने के फलस्वरूप दो भारतीय नागरिक मर गये। स्पष्टतः उन में से एक श्री अच्चयुतन तत्काल मर गये थे तथा बताया जाता है कि उन के शव को फ्रेंच पुलिस ने दफना दिया था। एक दूसरे भारतीय श्री आनन्दन को गोली के घाव आये थे तथा उन्हें भारतीय क्षेत्राधिकार में केलीचेरी के अस्पताल में पहुंचाया गया था जहां उन का २६ अप्रैल की दोपहर को देहान्त हो गया। तीन और भारतीयों, श्री गोविन्द अद्योपी, श्री कुट्टी तथा श्री यम्मूती को गहरे घाव आये बताये जाते हैं तथा टेलीचेरी के अस्पताल में उनकी चिकित्सा हो रही है। बाद में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार श्री अच्चयुतन का शव प्राप्त हो गया है।

इस रिपोर्ट के मिलने पर पांडिचेरी के भारतीय वाणिज्य-दूत ने फ्रांसीसी गणतन्त्र के आयुक्त को तत्काल एक विरोधपत्र भेजा। इसी प्रकार का एक विरोधपत्र वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने यहां स्थित फ्रांसीसी राजदूत को भेजा है। फ्रांसीसी सरकार से तुरन्त जांच की प्रार्थना की गई है तथा सम्बन्धित फ्रेन्च इन्डियन आरक्षी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये तथा फ्रेन्च इन्डियन आरक्षी द्वारा भविष्य में ऐसी ज्यादती को रोकने के लिये कहा गया है। उन से मृतकों के उत्तराधिकारियों तथा घायल व्यक्तियों को काफी प्रतिकर देने की भी मांग की गई है।

भारत सरकार की सूचनानुसार यह घटना पूर्णतः फ्रांसीसी क्षेत्र में हुई तथा भारतीय क्षेत्र में नहीं हुई है। फिर भी भारत सरकार के लिये यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि इस दुर्घटना में दो भारतीय मर गये हैं तथा तीन को घाव आये हैं। हम फ्रांसीसी सरकार से अपने विरोध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पूर्व सूचना में "माही से फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा बारम्बार भारतीय क्षेत्राधिकार में घुस आने" का भी वर्णन है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हाल में चालू की गई परमिट पद्धति केवल पांडिचेरी तथा केरायकल पर ही लागू होती है तथा माही और येनाम पर नहीं। इन दो उल्लेखित बस्तियों में आरक्षी दल के अतिरिक्त दूसरे फ्रांसीसी अधिकारियों के भारत घुस आने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां तक फ्रांसीसी बस्तियों में युरोपियन कर्मचारियों का सम्बन्ध है, भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने के लिये उन्हें

निश्चय ही आवश्यक द्रष्टांक प्राप्त करने होंगे ।

इस मास के दिनांक २८ को, श्री वल्लाथरास ने हाल में फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्रों में हुई समस्त घटनाओं के बारे में विस्तृत सूचना मांगी थी । हम उस विवरण को तैयार कर रहे हैं तथा जब वह तैयार हो जायेगा, मैं आप की अनुमति से उसे सदन-पटल पर रखूंगा ।

स्थगन प्रस्ताव

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने अब जो तथ्य आ चुके हैं, उन पर विचार करते हुए मैं समझता हूं कि मेरे लिये श्री पुन्नूस तथा श्री वी०पी० नायर के स्थगन प्रस्ताव पर हीं चर्चा करने की सम्मति का होना सम्भव नहीं है ।

समवाय विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम विभिन्न समवायों तथा कुछेक अन्य संस्थाओं सम्बन्धी विधि को सुदृढ़ करने तथा उस में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ४९ सदस्यों की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे । इस प्रवर समिति में ३३ सदस्य इस सदन से लिये जायेंगे तथा १६ राज्य परिषद् से । हम इन बातों पर भी विचार करेंगे कि इस समिति की गणपूर्ति समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई हो । यह अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे तथा इस सदन के समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम सामान्यतः अध्यक्ष द्वारा निर्धारित परिवर्तनों से इस समिति पर भी लागू हों । सदन राज्य-परिषद् से इस समिति में शामिल होने और १६ सदस्यों के नामों को भेजने की भी सिफारिश करेगा ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस-पूर्व) : कल मैं ने एक औचित्य प्रश्न उठाया था जो प्रवर समिति के सदस्यों द्वारा यहां पर चर्चा में भाग लेने के बारे में था । सभापति महोदय ने तब उसे रद्द करते हुए कहा था कि अब प्रवर समिति के किसी सदस्य से बोलने के लिये नहीं कहा जायेगा । मेरा निवेदन है कि प्रवर समितियों के दूसरे सदस्यों को बोलने देने के सम्बन्ध में पूर्व-प्रथा की पुनः स्थापना की जाये ।

श्री बंसल : मैं विमान-निगम विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का सदस्य था । आप ने तब इस कारण मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया था । सामान्यतः विपरीत टिप्पणी करने वाले सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रवर समिति के सदस्यों को निर्देश तथा विधेयक के प्रवर समिति से लौटने के दोनों अवसरों पर बोलने की अनुमति नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक काल्पनिक मामला है । यदि किसी प्रवर समिति के ३३ सदस्य हों तो उन के नामों का याद रहना कठिन है । हम ने इस सम्बन्ध में प्रथा बना रखी है कि प्रवर समिति के सदस्य स्वयं ही बोलने की चेष्टा न करें । सदस्य इस प्रथा को अच्छा समझते भी हैं । मैं ने श्री चटर्जी को गलती से बोलने का अवसर दे दिया था । मैं ने समझा कि वे प्रवर समिति में नहीं हैं । ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं तथा एक मात्र उपाय यही है कि ऐसे सदस्य स्वयं बोलने का प्रयत्न न करें ।

श्री बंसल की दूसरी बात के बारे में मेरा विचार है कि विधेयक के प्रवर समिति

[अध्यक्ष महोदय]

से वापस लौटने पर प्रत्येक सदस्य उस पर बोल सकता है। प्रथम प्रथा का कारण यह है कि प्रवर समिति को सभी के विचार सुनने चाहियें जिस से वह किसी विधेयक पर स्वयं विचार करते समय उन्हें अपने सामने रख सकें। परन्तु मेरे विचार से श्री बंसल ने जो दूसरी बात कही है, वह ग़लत है।

श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी) : यह विचार क्रम से सम्बन्ध रखती है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री टी० एन० सिंह : सम्बन्धित माननीय सदस्य ने स प्रथा को तोड़ कर भी अपने भाषण को वापस नहीं लिया है। प्रवर समिति के बारे में क्या ोगा ?

अध्यक्ष महोदय : एक भूलवश भाषण हो गया। इस क्रम पर भाषण को शासकीय वृत्तान्त में से नहीं निकाला जा सकता। अध्यक्ष भी एक मनुष्य है जिस से गलती हो सकती है। माननीय सदस्य अध्यक्ष को अपना सहयोग ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह प्रथा एक निर्देशात्मक नियम ही है। एक अवसर-पर श्री ोहिणी कुमार चौधरी ने प्रवर समिति के कुछ सदस्यों को बोलने देने के लिये प्रार्थना की थी। उस समय हमें उस विधेयक पर बोलने की अनुमति ी गई थी। किसी अवसर पर कदाचित आप को किसी सदस्य विशेष को बोलने के लिये कहना आवश्यक हो। परन्तु इस प्रकार की कोई सुनिश्चित प्रथा नहीं है।

आप ने यह विनि ेश दिया है कि जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं वे प्रवर समिति के सदस्यों तथा सदन के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते है। वह बहुत उत्तम बात है। परन्तु इस के विपरीत ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं ह कि प्रवर समिति के किसी भी सदस्य को किसी भी अवसर पर बोलने की अनुमति नहीं दी जायगी। यदि इस प्रथा का अनुसरण किया गया तो इस से निश्चय ही हानि होगी।

किसी अवसर पर अध्यक्ष की अनुमति से किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दी जा सकती है इसलिये इसे कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जाना चाहिये।

बाद के विषय के सम्बन्ध में आप ने यह कहा है कि यह एक ऐसा अवसर है जब कि प्रवर समिति के सदस्य को किसी प्रकार की प्राथमिकता मिलनी चाहिये। वह सदन में यह देखता है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट स्वीकृत हो जाये। उक्त रिपोर्ट का सह-लेखक होने के कारण उसे बोलने का अवसर न दिये जाने का कोई कारण नहीं है।

पहली बात के सम्बन्ध में भी मेरा यह निवेदन है कि अभी तक हम ने ऐसी कोई कठोर प्रथा नहीं बनाई है कि प्रवर समिति के किसी सदस्य को बोलने नहीं देना चाहिये। यदि ऐसी बात हो, तो सरकार किसी भी सदस्य को समिति में रख कर किसी प्रस्ताव विशेष के सम्बन्ध में उसे सदन में बोलने से रोक सकती है। आखिर, जब कोई सदस्य बोलता है तो वह केवल सदन के समक्ष कुछ सुझाव रखता है और प्रवर समिति में उन पर विचार किया जा सकता है। अतः प्रवर समिति में चुने गये किसी सदस्य के सदन में किसी प्रस्ताव विशेष पर बोलने पर सदा के लिये प्रतिबन्ध लगाने का मुझे तो कोई अच्छा कारण दिखाई नहीं देता।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : उस पर सदा के लिये प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह अभिसमय सभापति तथा सदन दोनों की दृष्टि से ठीक है। माननीय सदस्य अपवाद चाहते हैं। अपवाद हो सकते हैं, किन्तु अपवाद सदा अपवाद ही रहते हैं, वे सामान्य नियम नहीं बन सकते ।

कुछ माननीय सदस्य : कोई अपवाद नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की दूसरी बात के सम्बन्ध में कि सरकार किसी सदस्य को बोलने से रोकने के लिये . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव : न केवल सरकार, अपितु प्रवर समिति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला कोई भी सदस्य ऐसा कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय...उसे प्रवर समिति में रख सकती है, मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में किसी का नाम रखने से पूर्व उस सदस्य की स्वीकृति ले ली जाती है। अतः यदि कोई प्रवर समिति का सदस्य बनना चाहे, तो उसे इस प्रतिबन्ध को भी स्वीकार करना चाहिये। इसलिये सरकार के हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ सदन के हाथों में है ।

परन्तु, मेरे विचार में यह कोई कठोर अभिसमय नहीं है, किन्तु यह अच्छी प्रकार प्रतिपादित अवश्य है ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद दक्षिण) : यह कठोरता से लागू किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह कठोर नहीं है। कई बार अपवाद आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिये प्रवर समिति में माननीय मंत्री का नाम है। तो क्या मैं उन्हें उत्तर देने से रोक दूं ? यह तो एक स्थायी अपवाद है। इसी प्रकार कुछ और अपवाद भी हो सकते हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : श्रीमान्, यदि प्रवर समिति का कोई सदस्य अवश्य बोले, तो क्या उस का नाम समिति से हटा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा था कि गलती से सदस्य को बुला लिया गया था ।

अन्त में मैं एक बात और कहता हूं कि यह न केवल अभिसमय है अपितु नियम है कि अध्यक्ष जिसे चाहे बोलने को कह सकता है। अतः चाहे किसी सदस्य को गलती से बुलाया गया हो, या जान बूझ कर बुलाया गया हो, क्योंकि सभापति ने उसे बुलाया है, इसलिये सब विवाद यहीं समाप्त हो जाने चाहियें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, आप ने ठीक ही कहा है कि इस अभिसमय को सदन में लागू किया जायेगा, किन्तु सभापति की इच्छानुसार इस के अपवाद भी हो सकते हैं। परन्तु पहले आप कह चुके हैं कि प्रवर समिति के सदस्य को बुला कर सभापति ने गलती की थी। उस समय सभापति पद पर आसीन भद्र महिला के साथ न्याय करने के लिये हमें यह कहना चाहिये कि सभापति ने अपवादस्वरूप स्वेच्छा से माननीय सदस्य को बोलने दिया था, इस में उन की कोई 'गलती' नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि या तो माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे या उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। मैं ने यह नहीं कहा कि यह सभापति की गलती थी। मैं ने कहा था कि मैं ने जाते समय उन्हें श्री चटर्जी को बुलाने के लिये कह दिया था और मुझे इस

[अध्यक्ष महोदय]

बात का ध्यान नहीं रहा था कि वे प्रवर समिति के सदस्य हैं। इसलिये मैं ने इसे एक गलती कहा था, क्योंकि वह गलती मेरी थी उन की नहीं। आखिर, सभापति भी तो मनुष्य ही है, उस से गलती हो सकती है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : सभापति ने कल 'अपवाद' शब्द का प्रयोग किया था।

श्रीमती खोंगमेन (स्वायत्त जिले-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : श्रीमान्, जब मैं ने माननीय सदस्य श्री चटर्जी को बुलाया था तो मैं ने यह कह दिया था कि अपवाद-स्वरूप ऐसा किया गया है और अन्त में भी मैं ने यह कह दिया था कि इस नियम का कठोरता से पालन किया जायेगा और प्रवर समिति के किसी भी सदस्य को इस विधेयक पर बोलने के लिये नहीं बुलाया जायेगा।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा दक्षिण पश्चिम—जिला बरेली—उत्तर) : श्रीमान्, कल जब सभा स्थगित हुई थी तो मैं यह कह रहा था कि केवल प्रबन्ध अभिकरण के स्थान पर किसी और को रख देने या उसे समाप्त कर देने से या उस के अधिकारों को कम कर देने से उन की बुराइयां दूर नहीं होंगी, क्योंकि यदि आप प्रबन्ध अभिकरण के स्थान पर कोई प्रबन्ध संचालक रख देंगे, तो स्थिति तब भी वैसी ही रहेगी। प्रबन्ध संचालक कोई बहुत ईमानदार या स्वार्थरहित नहीं होते। उसे भी लाभ कमाने की आदत होती है। तो मेरे माननीय मित्र पूछेंगे कि "आखिर, इस का उपचार क्या है?" इस का उपचार यह है कि हम सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग कार्यकुशलता और मितव्ययता से एक आदर्श उपस्थित करें जिस से सभी लोग सरकारी क्षेत्र का समर्थन करें और कहें कि गैर सरकारी क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देश के लिये इस बात का निश्चय करने का समय आ गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र रहना चाहिये या नहीं। हम विधान बना कर उन की लोभी मनोवृत्ति को नहीं बदल सकते। केवल सरकारी क्षेत्र में आदर्श उपस्थित करके ही उन्हें लज्जित किया जा सकता है।

हम गत चार या पांच वर्षों से सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम ने इन पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र में कितनी कार्यकुशलता प्राप्त की है, कौन कौन सी सफलतायें प्राप्त की हैं और किस स्तर तक हम पहुंच गये हैं इस सम्बध में मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा।

सब से पहले हम सिंदरी के उर्वरक के कारखाने को ही लेते हैं। इस कारखाने की लागत २७ करोड़ रुपये आई है। इस विषय के विशेषज्ञों की यह राय है कि इतना बड़ा कारखाना १५ करोड़ रुपये में बन सकता है। इस कारखाने में तैयार किया हुआ उर्वरक ३३० पये प्रति टन पड़ता है और आप ने आर्थिक सहायता दे कर उस में पन्द्रह प्रतिशत की कमी कर के उस का मूल्य २९० रुपये प्रति टन कर दिया है। किन्तु मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि विदेशी उर्वरक बीमा भाड़ा व्यय तथा सभी प्रकार के शुल्क और मध्यजनों के प्रभार को निकाल कर २५० रुपये प्रति टन के भाव से बेचा जा सकता है। इन बातों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि आप औरों से अच्छा कार्य कर रहे हैं? यदि आप ने कम लागत पर कारखाना बनाया होता और लोगों को माल सस्ता दिया होता और फिर आप कहते कि इन लालची लोगों को देश में नहीं रहने देना चाहिये तो देश आप के साथ होता। किन्तु दुर्भाग्य से अब स्थिति ऐसी नहीं है।

मध्य प्रदेश के समाचारपत्र के कागज के कारखाने को ही ले लीजिये । उस पर अब तक ५८० लाख रुपये व्यय हो चुके हैं, किन्तु कार्य अब तक के लिये निश्चित लक्ष्य के दो तिहाई तक भी नहीं पहुंचा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या माननीय सदस्य को यह विदित है कि यह कारखाना मैसर्स नायर एंड कम्पनी द्वारा एक निजी समवाय के रूप में खोला गया था ?

श्री सी० डी० पांडे : यह तो और भी बुरा है । उन्हों ने इस कारखाने को निजी समवाय के रूप में खोल कर कुप्रबंध किया, किन्तु आप ने उन की सहायता कर के ५ करोड़ रुपया डुबा दिया । और फिर खण्डवा के इस कारखाने में तैयार किया हुआ समाचारपत्र का कागज कभी भी विदेशी समाचार पत्र के कागज की प्रतिद्वन्द्विता का सामना नहीं कर सकेगा । एक और उदाहरण लीजिये । कम से कम लागत रखने के हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद भी मिर्जापुर के सीमेंट के कारखाने के, जिस की योजना श्री के० डी० मालवीय ने बनाई थी, बनाने की लागत अब तक ४.५ करोड़ रुपये आ चुकी है । किन्तु इस विषय में जानकार व्यक्तियों का कहना है कि यह ३.५ करोड़ रुपये या इस से कुछ अधिक में बनाया जा सकता था ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): आप उन पर विश्वास क्यों करते हैं ?

श्री सी० डी० पांडे : क्योंकि उतनी ही क्षमता के कारखाने उस से कम लागत में बनाये गये हैं, इसलिये हमें उन पर विश्वास करना पड़ता है ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं निजी रूप से जानता हूं कि उन्हों ने सीमेंट के कारखाने पर ६ करोड़ पगे या इतने ही व्यय किये हैं ।

श्री सी० डी० पांडे : परिवहन के राष्ट्रीयकरण को ही लीजिये । निजी अभिकरणों की बसों में अधिक भीड़, समय पर न आना जाना इत्यादि असन्तोषजनक व्यवस्था होने के कारण बम्बई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों में हम ने परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर लिया । किन्तु इस का परिणाम क्या हुआ ? किराये बढ़ गये । पहले दो पैसे प्रति मील किराया था अब सारे देश में तीन पैसे प्रति मील हो गया है ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : असुविधा भी बहुत बढ़ गई है ।

श्री सी० डी० पांडे : यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीयकृत सेवा है ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नगिरि दक्षिण) : बम्बई राज्य में निजी बसों के जमाने में भी नौ पाई प्रति मील किराया था ।

श्री सी० डी० पांडे : गैर-सरकारी क्षेत्र में दो पैसे या छः पाई प्रति मील से अधिक किराया कभी नहीं हुआ, यह सब जानते हैं। सम्भव है कहीं थोड़ा-बहुत अन्तर हो । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि परिवहन के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य जनता को अच्छी और सस्ती सेवा देना होना चाहिये था, किन्तु वैसा हुआ नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में सदन को पूर्ण अधिकार है । सरकार भी आप की है आप के पास साधन भी पर्याप्त हैं, फिर आप गैर-सरकारी क्षेत्र का सामना क्यों नहीं कर सकते ? मैं समझता हूं कि अब गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं करना

[श्री सी० डी० पांडे]

चाहिये और उद्योगपतियों को बता देना चाहिये कि उन की करतूतों के कारण उन में जनता का विश्वास नहीं रहा । इसी कारण मैं यह कहता हूं कि हमें कार्यकुशलता तथा मितव्ययता के सम्बन्ध में आदर्श उपस्थित करना चाहिये जिस से जनता हमारी ओर आकृष्ट हो सके ।

सरकारी क्षेत्र को सुधारने की आवश्यकता है । हमें विश्व को यह दिखा देना चाहिये कि हम अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं । किन्तु आजकल क्या हो रहा है ? ये पूंजीपति आयकर, शुल्क इत्यादि अनेक प्रकार के कर देने पर भी इतना लाभ कमा रहे हैं और हम कोई कर न देने पर भी लोगों को सस्ती चीज नहीं दे सकते ।

अतः मेरा यह कहना है कि चाहे आप तीन मास का कारावास रख दें या छः मास का या एक वर्ष का रख दें, इस से यह समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि गत चार वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र की जड़ें तो हिल चुकी हैं और इस अवधि में एक भी नया उद्योग समवाय नहीं बना । बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिये एक भी नया प्रबन्ध अभिकरण नहीं बना, क्योंकि धनियों को पता लग गया है कि श्रमिकों का, संसद् का और जनता का रुख किधर है । अतः सार्वजनिक क्षेत्र में आप का कर्तव्य है कि आप यह सिद्ध करें और कहें कि हम ने अधिक अच्छा कार्य किया है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नैल्लोर) : प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े व्यापार को इस प्रचलित प्रणाली ने हानि की अपेक्षा देश की सेवा ही अधिक की है । इस के विपरीत छोटे तथा मध्यम कोटि के व्यापार के कारण ही देश को काफी आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा है और देश में व्यापार की स्थिति काफी डांवाडोल रही है । मध्यम कोटि के अर्थात् ५ लाख रुपये से २५ लाख रुपये तक के व्यापारिक समवायों में से अधिकांश अपनी परियोजना का ठीक प्राक्कलन न कर सकने के कारण या उसे ठीक प्रकार से चलाने की क्षमता न होने के कारण नष्ट हो गये हैं । इन के प्रबन्ध अभिकरणों का जो धन का प्रबन्ध नहीं कर सके इन से भी बुरा हाल हुआ है । अतः प्रबन्ध अभिकरण बनाते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इन में आवश्यक सामग्री और गुण हों ।

बड़े व्यापारियों ने अपने अनुभव, धन और योग्यता से देश के व्यापार को अवश्य बढ़ाया है । सरकार द्वारा आयोजित समवायों में बहुत कमियां हैं । सामान आदि खरीदने का कोई प्रबन्ध नहीं, प्राक्कलन तथा योजनायें ठीक ढंग से तैयार नहीं की गई हैं । इसलिये बड़े व्यापारों को निरुत्साहित करने से औद्योगिक प्रगति में बाधा होगी । बड़े व्यापारी अपने ऊपर होने वाले आघातों के डर से भयभीत हो कर नवीन उद्योगों में धन नहीं लगा रहे हैं । लोग नया व्यापार खोलने में रुपया लगाने से हिचकिचाते हैं, किन्तु पूंजी उपलब्ध है । चाहे यह धन कैसा भी हो, हमें राष्ट्रीय विकास के लिये इस का उपयोग करना चाहिये । अनुभव बतलाता है कि लोग अमरीकी या अंग्रेजी समवायों में विश्वास सहित धन लगाते हैं, किन्तु भारतीय व्यापार में नहीं । इसका कारण यह है कि विदेशी व्यापार में लोगों को विश्वास है और वहां से उचित प्रतिकर भी मिल जाता है ।

हमारे पास लोग हैं, सुविधायें हैं, संचार के साधन भी हैं, किन्तु पूंजी के न होने से सब बेकार रहते हैं । इसलिये हमें व्यापार प्रारम्भ करने के लिये आने वाली पूंजी को निरुत्साहित नहीं करना चाहिये ।

मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं कि ६५ वर्ष के ऊपर की आयु का कोई निदेशक नहीं रखना चाहिये, जब तक कि उस के लिये भागीदारों का विशेष संकल्प न हो, यह धारा रखना उचित नहीं है। क्या श्री विश्वेश्वरैया जैसे व्यक्ति को ६५ वर्ष से बड़ा होने के कारण अनर्ह कर देना चाहिये ? इस धारा के रखने से, बड़े बड़े योग्य व्यक्तियों को निदेशक बनने का अवसर नहीं मिल सकेगा। और स्त्रियों की आयु पूछना भी तो शिष्टाचार के विपरीत है।

यदि हम प्रबन्ध अभिकरणों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं, तो पूंजी और आयेगी कहां से ? सहकारिता या एक व्यक्ति के स्वामित्व या भागीदारी पद्धति के द्वारा इन उद्योगों की सहायता के लिये अधिक रुपया नहीं मिल सकता। जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, वह भी सफलता-पूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं, कि लोग उन से प्रभावित हो कर धन लगायें। राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों की योजनाएं, प्राक्कलन और कार्यक्रम सब अव्यवस्थित और असंतोषजनक हैं। दो महीनों के अन्दर एक बार प्रबन्ध निदेशकों की बैठक का उपबन्ध उत्तम है। यह निदेशकों की शिथिलता और कार्य-विमुखता को रोकने का अच्छा साधन है।

बैठक की सूचना की अवधि १५ दिन से २१ दिन बढ़ा दी गई है, जिस की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हिस्सेदार अपना खर्च कर के इन बैठकों में भाग लेना अनिवार्य नहीं समझते हैं। इसलिये इस सूचना की अवधि को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विधेयक द्वारा पंजीयन पद्धति पर कई निरोध लगाये गये हैं। किन्तु इस में इस बात का डर है कि पंजीयन के लिये सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर जो छोटे कर्मचारी लगाये जायेंगे, वे व्यर्थ में गलतियां निकालेंगे और इस प्रकार भ्रष्टाचार फैलेगा। अधिनियम में इस प्रकार की त्रुटियों को रोकने का उचित निरोध करना चाहिये।

१० म० घू०

यदि सामान्य सभा की बैठक के समय, कोई लेखा परीक्षक नहीं रखा जाता, तो सरकार अपना लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी। इस प्रकार की कार्यवाही सरकार को अभी नहीं उठानी चाहिये। कारण इस से अनावश्यक हस्तक्षेप होता है और भागीदारों तथा निदेशकों के कामों में ऐसा दखल देना उचित नहीं है। इस धारा को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः सरकार को यह कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

यद्यपि यह विधेयक सोच समझ कर बनाया गया है, किन्तु इस में फिर भी बहुत त्रुटियां हैं। समय समय पर इन त्रुटियों का अविलम्ब सुधार होना चाहिये। इस में कई धाराओं को निकालने की आवश्यकता है। और यदि यथास्थान विधि को संक्षिप्त बनाया जाये तो समवाय अधिक संतोषपूर्वक कार्य कर सकते हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं इस उपक्रम का स्वागत करता हूं। मैं तीन मूलभूत सिद्धान्त रखना चाहता हूं। प्रथमतया व्यापार को व्यवसायीकृत बनाना चाहिए ताकि वह अपने व्यापार के लिये उत्तरदायी हो, जैसे वकील अपने मवक्कल के धन का अपव्यय करने के लिये उत्तरदायी होता है, और उसे व्यवसाय से निकाला जा सकता है। यही नैतिकता चिकित्सा व्यवसाय में है, किन्तु व्यापार में ऐसी नैतिकता के नियमों का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक व्यावसायिक व्यापार का लक्ष्य निर्धारित करे।

दूसरा सिद्धान्त होना चाहिये कि गैर-सरकारी व्यापार पर अनुचित प्रतिबन्ध

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

नहीं होना चाहिये । इस से स्वयं स्फूर्ति नष्ट हो जाती है और व्यापार पनप नहीं सकता ।

तीसरा सिद्धान्त यह है कि क्या यह विधेयक व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं में संतुलन रखने का प्रयास करता है । इस की इस आधार पर आलोचना निरर्थक है कि इस में आपराधिक दंड सम्मिलित नहीं होने चाहियें । मेरा विश्वास है कि इस में पर्याप्त कड़े दण्ड होने चाहियें । जब तक पर्याप्त दण्ड नहीं दिये जायेंगे, लोग नैतिक बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे । मैसूर राज्य में एक निदेशक ने ४ लाख रुपये खा लिये, और तीन वर्ष सज़ा भुगत कर आनन्द के साथ रहने लगा । लोगों के धन को हड़प करने वाले व्यक्ति को आयु भर का कारावास होना चाहिये ।

मैं पूर्णतया राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं रखता । अभी औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षेत्र की आवश्यकता है । इस बात से कई सदस्य सहमत नहीं होंगे और वे चाहते होंगे कि प्रबन्ध अभिकरण तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये । किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का विकल्प क्या है ? इस में कुछ सन्देह नहीं है कि प्रबन्ध अभिकरण ने देश के औद्योगीकरण में बड़ा भाग लिया है । जिस देश में लोग धन लगाने से डरते हैं, और औद्योगिक विकास कम है, वहां पर पूंजी गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ही प्राप्त हो सकती है । सरकार को उद्योग स्थापित करने में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं । बड़ी पूंजी के बिना उद्योग भी आर्थिक ढंग से नहीं चलाया जा सकता । सलेम ज़िले में धनाभाव के कारण अलमोनियम उद्योग प्रारम्भ नहीं किया जा सका । सरकार के लिये बहुत बड़ी रकम की मंजूरी देना सरल काम नहीं है । गैर-सरकारी क्षेत्र पर रोक लगाने के कारण बड़े उद्योग प्रारम्भ नहीं किये जा सकते ।

मेरे अपने ज़िले में एक स्थान पर भूतल सफेद है । एक युरोपीय समवाय को इस भूमि के बहुमूल्य तत्व की खोज करने का काम सौंपा गया, जिस ने इस उपक्रम से बहुत धन कमाया । यह काम गैर-सरकारी समवाय द्वारा किया गया, अन्यथा हमें उस तत्व का पता भी न लग सकता ।

प्रबन्ध अभिकरण नये उद्योग प्रारम्भ करने के लिये प्रसिद्ध हैं । तिरुपुर १९३० में एक गांव था । एक व्यक्ति ने वहां लोगों से धन इकट्ठा कर के एक कारखाना स्थापित किया और आज वहां विकसित हो कर एक महान् नगर बन गया है । प्रबन्ध अभिकरणों में सभी लोग बेईमान नहीं हैं । यदि बेईमान लोग हैं, तो उन को निकाल देना चाहिये और दण्ड देना चाहिये । इस के अतिरिक्त उन में अच्छे और ईमानदार लोग भी हैं, जिन के धन के द्वारा उन्होंने समवाय प्रारम्भ कर रखे हैं । बेईमान लोगों को निकाल कर अच्छे और ईमानदार लोगों के द्वारा इस पद्धति को अच्छी प्रकार चलाया जा सकता है । इस के द्वारा नये उद्योग खोले जा सकते हैं ।

यह बात नहीं है कि सभी चीज़ों में प्रबन्धक अभिकर्ता उपयोगी सिद्ध होते हैं । उदाहरण के लिये बैंकों और बीमा कम्पनियों के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता आवश्यक नहीं है । इस के विपरीत रुई, कपड़ा, जूट आदि उद्योगों के क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बिना काम नही चल सकता । अतः मैं समझता हूं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के विरुद्ध जो तर्क दिये, वे सब के सब ठीक नहीं हैं ।

मैं विधेयक से कई उपबन्धों का स्वागत करता हूं । खण्ड ५० से ५९ तथा अनुसूची २ के अधीन विवरण पत्र सम्बन्धी विवरणों के विस्तार की व्यवस्था बहुत अच्छी है । इसी प्रकार विवरण पत्र के जारी करने से

पूर्व विशेषज्ञ की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का उपबन्ध भी अच्छा है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक दो दोष भी बताना चाहता हूं। खण्ड ५६ और ६२ के उपबन्धों का मैं स्वागत तो करता हूं, परन्तु मेरी समझ म यह नहीं आता कि खण्ड ५६ में दण्ड की अवधि केवल दो वर्ष ही क्यों रखी गई है, जबकि खण्ड ६२ में, जो कि उसी प्रकार का है, दण्ड की अवधि पांच वर्ष रखी गई है। मैं तो समझता हूं कि विवरण पत्र में गलत बातें लिखने के लिये कम से कम पाच वर्ष के दण्ड की व्यवस्था नितांन्त आवश्यक है।

खण्ड ५१ में यह बताया गया है कि शेयरों के लिये आवेदन पत्र बांटते समय विवरण पत्र भी अवश्य दिया जाना चाहिये। ऐसा न करने पर ५,००० रुपये तक का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता। मैं समझता हूं कि इतनी बारीकियों से बहुत गड़बड़ियां पैदा होंगी। इस की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

खण्ड ६० भी मुझे अनावश्यक प्रतीत होता है। उस के अनुसार घर घर जा कर विचारों का प्रतिपादन नहीं कराया जा सकता और यदि कोई ऐसा करता है, तो उसे दण्ड दिया जायेगा। मैं तो समझता हूं कि यह उपबन्ध कम्पनी के निर्माण के मार्ग में एक बाधा पैदा करेगा।

कम्पनी की बैठकों और प्रक्रियाओं सम्बन्धी उपबन्ध अच्छे हैं, यद्यपि उन में थोड़ी बहुत हेर फेर की आवश्यकता है। मैं कई संशोधनों की पूर्व सूचना दे चुका हूं। लगभग सौ संशोधन रखे गये हैं और मैं आशा करता हूं कि इन में से कम से कम कुछ पर उचित रूप से विचार किया जायेगा और उन्हें स्वीकार किया जायेगा। अभी तक कम्पनी की बैठकें एक तमाशा मात्र रही हैं और उन में कोई गंभीरता नहीं रहती थी। इस सम्बन्ध में जो नये उपबन्ध बनाये गये हैं, उन के फलस्वरूप इस दिशा में सुधार और प्रगति होगी और बैठकें वास्तविक और उपयोगी हो सकेंगी।

कम्पनी के लेखा देने और उस के लेखा परीक्षण के सम्बन्ध में लेखा-निरीक्षकों एवं बोर्ड की जो शक्तियां और उन के जो कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं, वे बहुत अच्छे हैं।

कम्पनी के मामलों की जांच पड़ताल के सम्बन्ध में मुझे भय है कि यदि निरीक्षकगण उचित रूप से व्यवहार नहीं करेंगे तो कम्पनियों के विकास और उन के प्रभावशाली प्रबन्ध के मार्ग में भारी बाधा पड़ेगी। यदि निरीक्षक बहुत अधिक हस्तक्षेप करेंगे, तो बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

संचालक मंडल के संचालकों के चुनाव के लिये जो आय सीमा रखी गयी है, वह उचित नहीं है। मैं तो समझता हूं कि बुद्धिमत्ता ६० वर्ष की आयु के बाद परिपक्व होती है। इस प्रकार का आयु सम्बन्धी प्रतिबन्ध अवश्य हटा दिया जाना चाहिये।

खण्ड ४९२ कम्पनी की समाप्ति से सम्बन्धित है। समाप्ति में केवल क्लर्कों और नौकरों की ही ओर निर्देश किया गया है। उपखण्ड (२) में १००० रुपये के एक मुआवजे की व्यवस्था है। यह व्यवस्था कदाचित मजूरियों का भुगतान अधिनियम पर आधारित है और उस में वेतन २५० रुपये माना गया है। मुझे पता चला है कि सरकार इस राशि को बढ़ा कर ४०० रुपये करने को तैयार हो गई है। यदि ऐसा है, तो मुआवजा १६०० रुपये होना चाहिये। दूसरी चीज यह है कि यदि आप केवल क्लर्कों और नौकरों के लिये व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर एक लिमिटेड अखबारी संस्था के दिवालिया होने पर

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

रिपोर्टिंग कर्मचारियों और संवाददाताओं का क्या होगा । उन्हें नौकर माना जायेगा या क्लर्क ? मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के लिये एक नया वर्ग बनाया जाये और उसे भी यहां पर सम्मिलित किया जाये ।

थोड़े बहुत सुधार से यह विधेयक बहुत अच्छा हो जायेगा । मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति में होने वाले विचार विमर्श के दौरान में इस विधेयक को काफी सुधार दिया जायेगा ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : मेरी समझ से इस विधेयक में काफी सुधार की आवश्यकता है । कम्पनी विधि जैसे बड़े विधान में इस बात की व्यवस्था होना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति अनजाने ही इस के चंगुल में न फंस जाये ।

जहां तक प्रबन्ध अभिकरण पद्धति का सम्बन्ध है, कुछ लोगों का यह मत है कि यह चीज़ बहुत ही अच्छी एवं उपयोगी है, और कुछ दूसरे व्यक्तियों का मत है कि यह बहुत खराब एवं हानिकारक चीज़ है । मेरी समझ से ये दोनों ही विचार सही नहीं हैं । इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते समय हमें अपने पूंजी नियोजकों की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना होगा ।

कहा जाता है कि हमारे देश में २८,५०० कम्पनियां हैं, जिन में से ८० प्रतिशत का प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में यह चीज़ बहुत लोकप्रिय है । भारतीय पूंजी नियोजक बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है । चतुर व्यक्ति इस को बहुत आसानी से ठग सकता है । उस की रक्षा की बहुत आवश्यकता है । हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे देश को औद्योगीकरण की दिशा में अभी बहुत अधिक काम करना है । अतः इस विधान का उद्देश्य प्रबन्ध अभिकरण पद्धति की अच्छी एवं उपयोगी बातों को बनाये रखना होना चाहिये । सच बात तो यह है कि इस पद्धति में कोई दोष नहीं है । दोष है व्यक्तियों का । यदि आप उन की धन लोलुपता और मुनाफाखोरी को रोक सकें तो अब भी वे देश, उपभोक्ताओं और भागीदारों की भारी सेवा कर सकते हैं ।

इस में सन्देह नहीं कि प्रबन्ध अभिकर्ता एक बहुत ही चालाक और खतरनाक व्यक्ति होता है । उस की गतिविधि पर कड़ी नजर रखने की बहुत आवश्यकता है, ताकि वह पूंजी नियोजकों को अपनी कुटिल चालों से बरबाद न कर सके । प्रबन्धक अभिकर्ता की तुलना जोंक से की जा सकती है ।

परन्तु विधेयक के खण्डों को देखने से यह पता चलता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता के सम्बन्ध में काफी नरमी से काम लिया गया है । खण्ड ३२९ के द्वारा उसे कुल लाभ का १२॥ प्रतिशत भाग पारिश्रमिक के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की गई है । खण्ड ३३५ के अधीन यह पारिश्रमिक कुछ परिस्थितियों में १२॥ प्रतिशत से भी अधिक हो सकता है । मैं समझता हूं यह पारिश्रमिक बहुत अधिक है । इसी सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि कम्पनियों के प्रवर्तकों को बिल्कुल ही अछूता छोड़ दिया गया है । यह उचित नहीं प्रतीत होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना शेष भाषण कल जारी रखेंगे । अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार आरम्भ करेगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है जो २९ अप्रैल, १९५४ को सदन में प्रस्तुत किया गया था।"

श्री एच० एन० चटर्जी (हुगली) : २८ सदस्यों ने जिन में श्री साधन गुप्त भी सम्मिलित हैं, एक संकल्प प्रस्तुत किया था, किन्तु श्री साधन गुप्त ने उसे वापस ले लिया। अब स्थिति यह है कि शेष २७ सदस्य, जिन से इस के बारे में कोई परामर्श नहीं लिया गया था, इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने से वंचित रह गये हैं। नियम १९४ के अधीन उपाध्यक्ष को यह अधिकार है कि ऐसी स्थिति में वह अपना निर्णय दे कर हम को इस बात का अवसर दें कि इन में से कोई भी सदस्य उस संकल्प को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत कर सके।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्री साधन गुप्त एक विशेष दल के सदस्य हैं। उन्होंने संकल्प वापस लेने का जो निर्णय किया है, उस का कुछ दायित्व मेरे ऊपर भी है।

भाग्य से श्री साधन गुप्त का नाम निकल आया और बाद को श्री गुप्त ने निश्चय किया कि यह प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था, अतः उन्होंने इस प्रस्ताव को वापिस लेने का निश्चय कर लिया। किन्तु यदि अध्यक्ष चाहें तो इस पर चर्चा की जा सकती है वह निर्देश दे सकते हैं कि इस विषय के लिए कुछ समय निश्चित किया जाय। किन्तु इस के बारे में कोई बात गुप्त नहीं है, इस के बारे में हम ने यह निश्चय कर लिया था कि इस को इसी दशा में सदन में प्रस्तुत करना नहीं है। इसीलिये श्री साधन गुप्त ने इसे वापिस कर लिया। श्री गप्त की ओर से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने सद्भावना से ही ऐसा किया है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : उस प्रस्ताव पर और एक ही कागज पर २८ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये थे जिन में श्री साधन गुप्त भी सम्मिलित थे।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : हस्ताक्षर तो अलग अलग कागजों पर लिये गये थे। मैं ने भी कुछ हस्ताक्षर कराये थे किन्तु वे सब तो अलग अलग पर्चों पर थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस के बारे में हम ने काफ़ी चर्चा कर ली है। अब दूसरा संकल्प श्री साधन गुप्त के नाम से है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक समिति में श्री साधन गुप्त ने कहा था कि वह अपने संकल्प के बारे में आग्रह नहीं कर रहे हैं अतः इस के लिए कोई समय निश्चित नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि श्री साधन गुप्त के साथ साथ जिन अन्य व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं क्या वे यह नहीं कह सकते कि अमुक प्रस्ताव सदन में रखा जाय और उस पर चर्चा की जाय। इस सम्बन्ध में नियम १९४ का उल्लेख किया गया है। खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहते हैं यह नियम उन की कोई सहायता नहीं करेगा।

संकल्प प्रस्तुत करने वाले २८ व्यक्ति हैं भाग्यवश नाम श्री साधन गुप्त का निकला। यह हो सकता था कि श्री गुप्त उन २८ व्यक्तियों में से किसी एक को प्रस्तुत करने का अधिकार दे देते। नियम १९४ में ऐसी व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं कि केवल संकल्प ही नहीं अपितु सदस्यों के नाम भी मतदान के लिये रखे गये थे ताकि संकल्प प्रस्तुत करने के लिये एक व्यक्ति का नाम निकल आये। अब स्थिति यह है कि उक्त दल इस पर फिर विचार करे, और यह कहे कि विभिन्न कारणों से यह संकल्प वांछनीय नहीं है अतः

[उपाध्यक्ष महोदय]

इस को आगे न चलाया जाय। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों का ही, चाहे उन्होंने एक ही काग़ज़ पर हस्ताक्षर किये हों अथवा अलग अलग काग़ज़ों पर, दायित्व है।

आशा करता हूं कि फिर से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हस्ताक्षर कराते समय सदस्य से इस बात का आश्वासन ले लें कि कम से कम वह संकल्प को प्रस्तुत तो कर ही देंगे और फिर सदन के निर्णय के लिए छोड़ देंगे। अन्यथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशा रहेगी।

समय निर्धारण करने का तो एक अलग ही प्रश्न है और वह एक अलग प्रस्ताव द्वारा तै किया जाता है। यदि इस संकल्प को प्रस्तुत ही करना है तो नियम १९४ के अन्तर्गत, यदि श्री साधन गुप्त चाहें तो, किसी भी सदस्य को इसे प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकते हैं। और यदि वह ऐसा करना नहीं चाहते तो फिर इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस सम्बन्ध में श्री साधन गुप्त से हम ने बातचीत कर ली है। मेरा कहना तो यह है कि जिस प्रकार एक सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की सूचना देने का अधिकार है उसी प्रकार उसे वापिस लेने का भी अधिकार है। इस मामले में यह हुआ कि दुबारा सोचने पर उन्होंने अपना संकल्प वापिस ले लिया। हमारी कठिनाई यह है कि हमारा दल एक संगठित दल है और हम में से जब कोई भी कोई संकल्प या विधेयक या कुछ भी प्रस्तुत करता है तो हमारा पूर्ण दायित्व हो जाता है, और दुबारा सोचने पर जब हम यह देखते हैं कि यह संकल्प ऐसा है कि इसे पहिली बार ही हमें प्रस्तुत नहीं करना चाहिये था तो उस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। यह परिवर्तन करने का अधिकार, मेरे विचार से, हमारा मूलभूत अधिकार है जिस की व्याख्या संविधान में होनी आवश्यक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में जब कि हमारे दल का एक व्यक्ति स्वयं उस संकल्प का समर्थन नहीं करता तो वह फिर किसी दूसरे व्यक्ति को भी उसे प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दे सकता। अतः श्री साधन गुप्त की ओर से अन्य सदस्यों को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि वह किसी भी अन्य सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दे सकते।

श्री एन० सी० चटर्जी : नियम में कुछ भ्रान्ति सी लगती है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है। नियम में यह व्यवस्था की गई है कि जब कोई सदस्य कोई संकल्प प्रस्तुत करता है तो वह उस का समर्थन करेगा अथवा अपने सहयोगियों को जिन्होंने कि हस्ताक्षर किये हैं कम से कम उन्हें यह अधिकार देगा कि वह उस संकल्प को सदन में प्रस्तुत कर सके। यही भ्रान्ति होती है। यदि श्री साधन गुप्त अपने सहयोगियों को जिन्हों ने कि हस्ताक्षर किये हैं यह अधिकार देना नहीं चाहते कि वे संकल्प को प्रस्तुत करें तो आप से (उपाध्यक्ष महोदय) सविनय निवेदन है कि नियमानुसार आप हमें यह अवसर दें कि हम संकल्प प्रस्तुत कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम तो सदस्य का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखता है और यह देखता है कि उस का नाम मतदान के लिए रखा गया है या नहीं।

डा० लंका सुन्दरम् : डा० कृष्णास्वामी ने संकल्प तैयार किया था और उन्होंने हस्ताक्षर लेने भी प्रारम्भ कर दिये। इस का परिणाम यह हुआ है श्री साधन गुप्त को सम्मिलित करते हुए हम २८ सदस्यों ने संकल्प

की सूचना दे दी। मतदान प्रक्रिया के फलस्वरूप उन का नाम निकला। जैसा कि श्री एच० एन० मुकर्जी ने बताया है कि श्री साधन गुप्त संकल्प प्रस्तुत करने के लिये तैयार नहीं हैं अतः यह आप का अधिकार है कि आप हम में से किसी एक को संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० सी० चटर्जी तथा डा० लंका सुन्दरम् के प्रस्तावों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं कह नहीं सकता कि अध्यक्ष को यह अधिकार है या नहीं कि वह उस सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की आज्ञा दें जिस का नाम मतदान के अनुसार नहीं निकला है।

डा० लंका सुन्दरम् : आप ने पहले कहा था कि श्री साधन गुप्त अन्य २७ व्यक्तियों के लिए न्यासधारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे अपना उत्तर-दायित्व नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं।

कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ समाप्त हो जाती है तो हम उस के बारे में तर्क किया करते हैं। तर्क उचित समय पर ही करना चाहिए। कितनी ही और कितने दिन तक भी इस के बारे में चर्चा कर ली जाय किन्तु फिर भी कुछ सदस्य किसी निर्णय पर पहुंचने के उपरांत भी, कुछ न कुछ कहेंगे। अतः अब इस के बारे में अधिक चर्चा नहीं होगी।

अब मतदान के लिये इसे सदन में प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है जो २९ अप्रैल, १९५४ को सदन में प्रस्तुत किया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्र में प्रशासनतंत्र तथा कार्य-प्रणाली सम्बन्धी संकल्प—क्रमशः

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एस० एन० दास के उस संकल्प पर चर्चा होगी जो उन्होंने २ अप्रैल, १९५४ को प्रस्तुत किया था।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय मैं कुछ सर्विसेज़ के बारे में कहना चाहती हूं। आज सर्विसेज़ का रंग ढंग इत्मीनान के काबिल नहीं है। जिस सांचे में यह सर्विसेज़ ढाली गई हैं वह सांचा हमारी वेलफेयर स्टेट के काबिल नहीं है। हम हर महकमे में ज़रूरत से ज्यादा देरी हर काम में देखते हैं। साथ ही साथ हम वहां पर एक अजीब तरह का ढंग पाते हैं, खास तौर से जहां ऊंची सर्विसेज़ वाले काम करते हैं।

कुमारी एनी मसकरीन (त्रिवेन्द्रम) : इस का सम्बन्ध सार्वजनिक प्रशासन से है, और इस का सम्बन्ध सभी मंत्रियों से है उन में से बहुत से मंत्री यहां नहीं हैं।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): इस का सम्बन्ध गृह-कार्य मंत्रालय से है और इन सब मामलों में गृह-कार्य मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य उपमंत्री यहां हैं।

श्रीमती उमा नेहरू : जो भी वह कार्य करते हैं उस में हम को सेवा भाव नहीं दिखायी देता है। खास तौर से जब हम उन का बरताव अपने सबार्डिनेट्स के साथ देखते हैं तो हम को वह बहुत तकलीफदेह मालूम होता है। उन के हाथों में यह पावर होती है कि जिस को वह चाहे ऊंचा या नीचा डाल देते हैं। जब हम इन महकमों को गौर से देखते हैं तो हम को मालूम होता है कि न वहां सीनियारिटी का

[श्रीमती उमा नेहरू]

कुछ विचार है और न मैरिट का कुछ ख्याल किया जाता है। इस के अलावा हालत यह है कि हम जो समझते थे कि रेडटेपिज्म कम हो जायगी वह और ज्यादा दिखायी देती है। इन सरविसेज़ में भी हम को दो तरह की सरविसेज़ दिखायी देती हैं, एक तो इम्पीरियल सरविसेज़ कहलाती हैं और दूसरी को स्टेट सरविस कहा जाता है। हमें इन सरविसेज़ की मटेलिटी कुछ अजीब ही दिखायी देती है।

[श्रीमती खोंगमेन पीठासीन हुईं]

जब हम इन सरविसेज़ को देखते हैं तो हम को यह मालूम होता है कि हमारी सरकार को इम्पीरियल और स्टेट सरविसेज़ को फिर से ओवरहाल करना चाहिए और हम को ऐसे लोगों को इन सरविसेज़ में लाना चाहिये जिन को हमारी पालिसी पर विश्वास हो और जो हमारी स्कीम्स को विश्वास से और दिलचस्पी से चलाने को तैयार हों। हमें ऐसे मुलाज़िम नहीं रखने चाहियें जो कि मशीनों की तरह बगर दिल व दिमाग के काम करते चले जावें।

इस के अलावा सरकार को चाहिए कि हर आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसर को पांच साल के बाद उस की स्टट को लौटा दे। जब हम यहां देखते हैं तो मालूम होता है कि कोई आई० सी० एस० अफसर १५ साल से यहां बैठा हुआ है, कोई दस साल से बैठा हुआ है। एक दफ़ा भी अगर कोई ऊंचा अफसर स्टेट से सेंटर में आ जाता है तो उस का वापस जाना दुश्वार हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे मिनिस्टर इस बात पर विचार करें और ऐसे ऊंचे अफसर यहां पांच साल से ज्यादा कभी न रखे जायं और पांच साल बाद अपनी स्टेट्स को भेज दिये जायं क्यों ? इसलिए कि वे यहां की सरकार की जो पालिसी है उस को स्टेट में जा कर बरतें। दूसरी बात यह है कि जो अफसर यहां स्टेट से लाया जाता है उस का रिश्ता उस स्टेट से होता है। उस को वहां वापस भेजना चाहिए ताकि वह वहां डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर ठीक तरह से काम कर सके। आज हालत यह है कि यहां पर सेक्रेटरीज़ होने के बाद जो उन का असल काम है उस को वह भूल जाते हैं।

जब हम महकमों की तरफ नज़र डालते हैं तो हम एक और अजीब चीज़ देखते हैं और वह यह कि जितनी भी पोस्ट्स हैं उन पर आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसरों को मुकर्रर किया जाता है जहां कहीं भी यह देखा जाता है कि कोई महकमा ठीक से नहीं चल रहा है वहां पर हम यह कहने लगते हैं कि यहां पर आई० सी० एस० अफसर को रखा जाय तो मुमकिन है कि यह महकमा ठीक तरह से चलने लग जाय।

इस के अलावा जब हम इन आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स से मुलाकात करते हैं तो हमें एक खास चीज़ दिखलायी देती है और उस को देखकर हमें हंसी आती है। जब वे किसी से मिलते हैं तो मिलने वाले को ऐसा मालूम होता है कि उन की निगाहें आसमान पर हैं, और वह एक सुपीरियर एअर से बात करते हैं। दूसरे को यह समझते हैं कि वह इतना काबिल नहीं है जितने कि वे। हो सकता है कि वह ऐसा अनकांशशली करते हों, या यह सरविस का एअर हो लेकिन यह हालत उन की दिखायी देती है। हम पार्लियामेंट के मेम्बरों को इन अफसरों से दूर रहने की हिदायत है, लेकिन हम यहां पर एक कांस्टीट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां पर केवल एक दूसरे का मुंह देखने नहीं आते। हम यहां इसलिए आते हैं कि हम अपनी कांस्टीट्यूएंसी का काम करें। जब हमारी कांस्टीट्यूएंसी का काम होता है तो हम को

इन महकमों में जाना होता है । अगर हम पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ के पास जाते हैं तो वह उस चीज़ से बेखबर होते हैं । जब हम डिप्टी मिनिस्टर्स के पास जाते हैं तो वह बेखबर तो नहीं होते लेकिन उन को इतनी पावर नहीं है कि वह इस काम को इंडिपेंडेंटली कर सकें, वह मिनिस्टर का मुंह ताकते हैं । मिनिस्टर के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि भाई हो जायगा । अगर उन को लिखते हैं तो उन के सेक्रेटरी का खत आता है कि इस तरफ मिनिस्टर का अटेंशन है । हम चाहते हैं कि वह काम जल्द होवे । हमारी कांस्टीट्यूएंसी वाले हम को बराबर एकनालेजमेंट डयू खत भेजते हैं पर दूसरी तरफ वह काम जल्द नहीं होता है । तो यहां पर हालत यह है । हम जानते हैं कि इस की क्या वजह है । मिनिस्टर भी काम में इस कदर मशगूल रहते हैं कि गालिबन वह एडमिनिस्ट्रेशन की हर चीज़ से वाकिफ नहीं हैं । उन को भी जाकर सेक्रेटरीज़ से बहस करनी होती है क्योंकि असल मालिक चाहे वह स्टेट सेक्रेटेरियेट में हो या सैंटर में हो आई० सी० एस० अफसर ही हैं । और यही गाड़ी को चलाते भी हैं । हम एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए खड़े हुए हैं और मैं तो सरविसेज से भी यही कहती हूं कि वे भी इसी मकसद को अपने सामने रखें और उन को समझना चाहिये कि इस उद्देश्य को उन को आगे चलाना है । जिस सांचे में वह ढले हुए हैं अगर वह यह सोचते हैं कि वह उस सांचे को फिर से यहां लायेंगे तो मुझे दुःख है कि उन का यह सोचना बेकार होगा । जब में इन सरविसेज़ को देखती हूं तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो गवर्नमेंट है उस का धड़ यह सरविसेज़ है । मैं देखती हूं कि सरविसेज़ गवर्नमेंट के हाथ और पैर होते हैं । अगर कोई गवर्नमेंट सिर्फ सर को ही लेकर बगैर धड़ के या हाथ पैर के चलेगी तो वह गवर्नमेंट आगे जाने वाली नहीं है । अगर गवर्नमेंट का सिर ठीक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाता है और सारे धड़ पर फालिज गिरा हुआ है तो वह वेलफ़ेयर स्टेट भी नहीं हो सकती है । इसलिये हम को ज़रूरत है कि हम अपनी सर्विसेज़ को कहें और अगर उन की समझ में नहीं आता तो हम को दूसरा बंदोबस्त करना है । जो हमारी पालिसीज़ और स्कीम्स हैं वह उन को मंजूर करनी हैं और उन की पालिसीज़ और स्कीम्स को ले कर उन को आगे चलाना है ।

श्री दातार : गृह मंत्रालय तथा भारत सरकार की ओर से, उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो कि विभिन्न सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान में किये हैं । श्रीमती उमा नेहरू का मैं आभारी हूं कि उन्हों ने बड़े अच्छे ढंग से इस के बारे में चर्चा की है । अन्य सदस्यों ने भी सावधानी से काम लिया है । संसद् के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह सरकार के कार्यों की पूरी पूरी आलोचना करे, किन्तु आलोचना करने का ढंग अच्छा होना चाहिए । इस संकल्प के सिद्धान्तों के बारे में सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि जहां कहीं भी कोई कमिया त्रुटि दिखाई पड़ती हैं उसे तुरन्त ही दूर कर दिया जाय ।

दूसरे इस नये प्रजातंत्रीय राज्य में साधारण सरकार ही नहीं अपितु कल्याणकारी सरकार भी कार्य-प्रणाली की ऐसी व्यवस्था करती है जो सर्वप्रथम सरकार के लिए अत्यधिक लाभ की हो, और फ़िर उस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को भी इस से लाभ होता है ।

हम आरम्भ ही एतिहासिक उदाहरणों तथा पूर्वधारणाओं से करते हैं । यह तो मानना ही पड़ेगा कि जहांतक अंग्रेजी प्रशासन का सम्बन्ध है उन का प्रशासनीय संगठन काफ़ी कुशल था । दोष केवल इतना ही था कि उस संगठन में निरंकुशता का समावेश होने

[श्री दातार]

लगा था तथा कभी कभी ऐसे भी उदाहरण होते थे जब न्याय तथा औचित्य के मूलभूत नियमों की भी अवहेलना की जाती थी। इसी लिये सत्ता हस्तान्तरण के पश्चात्, प्रथम गृहकार्य मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा भारत सरकार ने सबसे पहले इसी दोष को दूर करने का प्रयत्न किया। संगठन के सामान्य सुधारों का जहां तक सम्बन्ध था कुछ सामग्री उन के सामने मौजूद थी। भारत सरकार के नियुक्त किये हुए कुछ अधिकारियों ने प्रशासनीय संगठन के संचालन की छानबीन की थी तथा कुछ रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। फिर भी १९४७ के पश्चात् सरकार ने इच्छा प्रकट की कि इस सम्बन्ध में ठीक से जांच की जाये तथा कुछ सुधार किये जायें। १९४८ में भारत सरकार ने श्री गोपालस्वामी आयंगार को, जो न केवल बहुत कुशल अफ़सर थे वरन् मद्रास राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष भी रह चुके थे तथा जिन को देशी राज्यों तथा अनेक मंत्रालयों का भी अनुभव प्राप्त था तथा सार्वजनिक जीवन में भी जिन का बड़ा मान था, इस कार्य के लिये नियुक्त किया कि वे सारी प्रशासन की व्यवस्था तथा प्रणाली की जांच करें तथा यह बतावें कि सरकार को जो कार्य करना है उस के लिये सारी व्यवस्था को किस प्रकार पुनर्संगठित करने की आवश्यकता है। सब कुछ विचार करने के उपरान्त उन्हों ने कुछ सुझाव दिये जिन में अधिकांश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं तथा उन का कार्यान्वितीयकरण भी किया जा चुका है। योजना आयोग ने भी यही कार्य श्री गोरवाला के सुपुर्द किया था। उन की भी रिपोर्ट उपस्थित है। उस के पश्चात् फोर्ड प्रतिष्ठान योजना के अन्तर्गत, श्री एपुलबी भारत आये उन्होंने भी छान बीन की तथा उन की भी रिपोर्ट सदन के सामने है। इस प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक के कहने पर १३ अगस्त १९५३ को हमने सदन के सामने एक विवरण रखा है जिस में बताया गया है कि इस सम्बन्ध में कितना कार्य हो चुका है। मंत्रालयों के सारे काम को पुनः संगठित किया गया है। कैबिनेट तथा अन्य संगठनों की रचना इस प्रकार की गई है कि जिस से कोई भी मंत्री तथा कैबिनेट यदि चाहे तो शीघ्रताशीघ्र निर्णय कर सके। हम ने अब ऐसा संगठन बनाया है जिस से भारत सरकार तथा कैबिनेट की निर्धारित की हुई नीतियों का तत्काल ही कार्यान्वितीयकरण कर दिया जाता है यदि कैबिनेट समझती है कि यह मामला बहुत जटिल है तथा इस सम्बन्ध में और अधिक जांच तथा जानकारी की आवश्यकता है तो ऐसी दशा में कैबिनेट के सामने तुरन्त ही आवश्यक जानकारी तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तथा निर्णय भी शीघ्र ही कर लिये जाते हैं।

प्रशासनीय संगठन के सम्बन्ध में कभी शिकायत की जाती थी कि यह अत्यधिक रूप से केन्द्रित है तथा कभी कहा जाता था कि बहुत अधिक विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। किसी सीमा तक दोनों ही शिकायतें ठीक थीं। इसलिये सरकार के तथा सचिवालय के संगठनों को फिर से संगठित किया गया। अब अनेक मंत्रालयों के लिये न केवल कार्यवाही के वरन् प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी बहुत ही स्पष्ट नियम बना दिये गये हैं।

जहां तक दीर्घसूत्रता (रेडटेपिज्म) का प्रश्न है हम इस के सम्बन्ध में आरम्भ से ही प्रयत्नशील हैं परन्तु यह ऐसा दोष नहीं है जो एक दो दिन में दूर किया जा सके। दीर्घसूत्रता का कारण यह नहीं है कि कागज़ों के नीचे से ऊपर जाने में किसी प्रकार की पैरवी करने की आवश्यकता पड़ती है। इस का कारण तो यह है कि अनेक स्थानों में वही काम बार बार किया जाता है। किसी प्रार्थना पत्र के मंत्री के पास तक पहुंचने में कितना समय लगता

है और फिर कितने समय में उस का निपटारा हो पाता है इसमें कम समय भी लग सकता है और अधिक भी, जैसा मामला हो। मंत्रालयों में देर लगने के कई कारण हैं उन में से एक यह भी है कि जब सत्र होता है तो हमें सत्र सम्बन्धी कार्य को प्रधानता देनी पड़ती है। इस ओर काम पिछड़ जाते हैं।

मेरा विचार है कि आई० सी० एस० अफ़सरों के सम्बन्ध में भी बड़ी कटु भाषा का प्रयोग किया गया है। आई० सी० एस० के जितने भी अफ़सर हैं वे सब भारतीय हैं। सरकार ने इन अफसरों को समझा दिया था कि अब युग लोकतंत्र का आ गया है तथा उन को भी अपने में उसी के अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिये और इन अफसरों ने अपने को उसी के हिसाब से बदल भी लिया है। एक सुझाव दिया गया है कि उन की वरिष्टता में परिवर्तन किये बिना आई० सी० एस० अफ़सरों को भी आई० ए० एस० कहा जाया करे। तो मेरा कहना है कि नाम बदलने से कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है इसलिये यह सुझाव मानने योग्य नहीं है। सदन को मैं बता देना चाहता हूं कि आखिरकार सरकार का काम एक बड़ी हद तक इन्हीं अफ़सरों की वफ़ादारी तथा कार्य-कुशलता पर निर्भर करता है। हो सकता है कि उन में एक आध खराब उदाहरण भी हों परन्तु सामूहिक रूप से इन अफ़सरों ने देशभक्तों की तरह कार्य किया है। इसलिये समय कुसमय इन लोगों की कटुतापूर्ण आलोचना करते रहना जैसा कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में करते थे अच्छा नहीं है। आखिर तो हम को किसी न किसी आधार पर चलना ही पड़ेगा और यह आधार हमारे लिये वह संगठन है जो स्वतंत्रता के पश्चात् हमें पुराने शासन करने वालों से उत्तराधिकारस्वरूप मिला है। इस संगठन में जो दोष हैं उन को दूर किया जा रहा है परन्तु यह तो नहीं हो सकता था कि स्वतंत्रता के पश्चात् विदेशों से कोई नया संगठन मंगाया जाता और इस के स्थान पर उसे स्थापित कर दिया जाता।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : सरकार ने वेषभूषा के सम्बन्ध में एक परिचालन पत्र जारी किया है, जिस में बताया गया है कि दफ़्तर में काम करने के समय अधिकारीगण अमुक प्रकार की वेषभूषा पहना करें। क्या अधिकारियों ने इस का पालन किया है ?

सभापति महोदय : शान्ति ! शान्ति ! माननीय उपमंत्री कह चके हैं कि माननीय सदस्यों को जो सुझाव देना हो वे उन के पास भेज दें। इसलिये अब कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री दातार : सदस्यों ने जो सुझाव भेजे हैं उन पर सरकार विचार करने को तथा उन का पालन करने को तैयार है यह जनतंत्रात्मक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार है तथा जब तक सदन इस पर विश्वास करता है तभी तक हम शासन का कार्य करेंगे।

अब हम इन बड़ी बड़ी सेवाओं में सुधार कर रहे हैं। इन के कार्यों में अब बहुत परिवर्तन हो गया है। अंग्रेजों के जमाने में यह लोग न केवल नीतियों को कार्यान्वित करते थे वरन् नीतियां निर्धारित भी किया करते थे। अब नीति निर्धारित करने का काम इन के हाथ से ले लिया गया है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि इन के पास बहुत बड़ा अनुभव तथा ज्ञान है। इन की जानकारी बहुत अधिक है। परन्तु इन का कार्य केवल इतना ही रखा गया है कि यह परामर्श देते रहें। सम्बन्धित मंत्री या मंत्रालय को उन की मंत्रणा को मानने या ठुकरा देने का अधिकार है। अन्त में उन का काम यह है कि जो भी निर्णय हो, वे उस को क्रियान्वित करें। इसलिए जिस हद तक यह संभव है, हम त्रुटियां दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

[श्री दातार]

मैं सदन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि हम ने सारे प्रशासन पर नियन्त्रण रखने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं। कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं और कैबिनेट सचिवालय के अधीन एक नया विभाग खोल दिया गया है, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय ही सारी प्रशासनीय व्यवस्था का आधार है। इस विभाग में एक विशेष पदाधिकारी है और कुछ कर्मचारी भी हैं, जिन का काम केवल कैबिनेट सचिवालय तक ही सीमित नहीं, बल्कि विभिन्न मंत्रालयों में फैला हुआ है। इसे संगठन तथा रीति विभाग कहा जाता है। सब से पहले इस का सुझाव हमें श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने दिया था। अब इस सुझाव को क्रियान्वित किया गया है। इस विभाग का कर्तव्य यह देखना है कि काम किस हद तक रीतिपूर्वक किया गया है, किस हद तक अनावश्यक विलम्ब हुआ है और इसे कैसे दूर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न यह है कि क्या हमारे नियम इसे कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिन में अग्रेतर संशोधन करने की आवश्यकता है। हम ने इस काम को भी हाथ में ले लिया है और जहांतक विभिन्न पहलुओं का सम्बन्ध है हम संशोधित नियमों को अगले कुछ दिनों के अन्दर सदन के समक्ष रख देंगे।

हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग है। संविधान में विशेष रूप से यह व्यवस्था की गई है कि यह निकाय सदा कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नियन्त्रण रखेगा। इस के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं, उन सब का पालन किया जा रहा है। जैसा कि आप को विदित है, हमने सारे वर्ष में केवल एक दो मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की मंत्रणा को अस्वीकार करना आवश्यक समझा है। इस का काम अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकार का है। वह सब समस्याओं को निष्पक्षता की दृष्टि से देखता है और इस की मंत्रणा को सरकार अत्यधिक महत्व देती है।

जहां तक सेवाओं में भर्ती का सम्बन्ध है, हमें सब से पहले केन्द्रीय सेवाओं पर ध्यान देना पड़ता है। इन सेवाओं को विभिन्न शीर्षकों के अधीन संगठित किया जा रहा है। उदाहरणतया एक सेवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा है, जिस का सम्बन्ध श्रेणी १ से श्रेणी ४ तक के सब पदाधिकारियों से है। इन सब अधिकारियों को भिन्न भिन्न नियमों के अन्तर्गत लाया जाता है, जिन के अनुसार वे यह जान सकते हैं कि उन के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा को संगठित कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर्स सेवा को भी यथानियम संगठित कर दिया गया है और यह अगले कुछ दिनों से चालू हो जायेगी। केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसे शीघ्र चालू कर दिया जायेगा। जहां तक इन सेवाओं का सम्बन्ध है, जोकि अधिकतर केन्द्रीय सचिवालय तक सीमित हैं, नियम ऐसे बनाये गये हैं जिन से कि अधिकतम कार्यकुशलता और ईमानदारी प्राप्त हो सके। मैं ने कई अवसरों पर सदन में कहा है कि सरकार ऐसी कार्यवाही कर रही है, जिस के फलस्वरूप पदाधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों का लालच या प्रलोभन में आना असंभव हो जायेगा। इस प्रयोजन के लिए सब नियमों की जांच की जा रही है, ताकि यदि उन में कोई ऐसी त्रुटियां या कमियां हों, जिन के कारण सरकारी कर्मचारी प्रलोभन से प्रभावित होते हों तो उन्हें दूर किया जाये। हमने प्रशिक्षण संचालक नाम का एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है, जिस का कार्य पदाधिकारियों को पूरा प्रशिक्षण देना होगा। मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि हम तीन विशेष प्रशिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, जिन में से एक केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के

लिए है । पदाधिकारियों के दल के दल वहां भेजे जाते हैं और वे वहां से प्रशासनीय व्यवस्था में प्रशिक्षण ले कर आते हैं । इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप उन की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं इसलिए रखी गई हैं ताकि एक नई स्थापना या नई पृष्टभूमि बनाई जा सके । हम ने दो नई सेवाएं—भारतीय प्रशासनीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा—स्थापित की है । जहांतक भारतीय प्रशासनीय सेवा का सम्बन्ध है, इस के लिये संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता है और समाज के सभी श्रेणियों के लोग इस में बैठ सकते हैं । यह हर्ष की बात है कि हमें देश के अच्छे से अच्छे नवयुवक उपलब्ध होते हैं । इन्हें एक लिखित परीक्षा में बैठना पड़ता है । इन सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने हमारे कहने पर एक व्यक्तित्व परीक्षा भी रखी है । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कभी इस परीक्षा के इन्टरव्यू को जा कर देखें । यह परीक्षा इस तरह की रखी गई है कि आयोग के ११ या १२ सदस्यों के लिए यह अनुमान लगाना संभव हो जाता है कि उम्मेदवार एक अच्छा प्रशासक बन सकता है या नहीं । केवल विश्वविद्यालय की विद्या सम्बन्धी योग्यताओं का कुछ महत्व नहीं है ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर-रक्षित—अनुसूचित जातियां) : तो फिर क्या वह अन्डर-ग्रेजुएट ले सकता है ?

श्री दातार : हम ने एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया है और जहांतक सामान्य प्रवेश का सम्बन्ध है, इस स्तर को ध्यान में रखा जाता है । ज़िला स्तर पर भी हम इस बात के लिए भरसक प्रयत्न करते रहे हैं कि हमें भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अच्छे से अच्छे पदाधिकारी मिल सकें ।

जहां तक भ्रष्टाचार के प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार को विदित है कि कहीं कहीं कलंकित व्यक्ति अवश्य होते हैं । इस लिए सरकार ने विशेष पुलिस स्थापना की संख्या बढ़ा दी है और एक विशेष भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी नियुक्त किया है जो यह जांच करेगा कि त्रुटियां कहां कहां हैं और प्रलोभन कैसे हटाया जा सकता है ।

सरकार अन्य तरीकों से भी समस्त प्रशासन में सुधार करने का प्रयत्न कर रही है । जैसे गणना के सम्बन्ध में हमारी एक लेखा परीक्षा व्यवस्था है इस तरह हम एक निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा प्रणाली जारी करने वाले हैं, जिस के अन्तर्गत पदाधिकारी दौरा करेंगे और देखेंगे कि कुल काम कितना है, और कितना बकाया है । वे काम की उत्तमता को भी आंकेंगे ।

जहां तक मुख्य संकल्प का सम्बन्ध है यह अच्छा हुआ है कि सरकार को संसद् के सदस्यों को यह बताने का अवसर मिला है कि वह पहले से क्या कर रही है । यदि सरकार इस मामले पर ध्यान न दे रही होती, तो इस प्रकार से संकल्प की आवश्यकता या औचित्य समझ में आ सकता था । वास्तव में विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम इस काम में सुस्त रहे हैं । किन्तु मैं कहता हूं कि हम सुस्त और आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकते । हम जानते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ा काम है और हमें न केवल प्रशासनीय दृष्टि से अपितु लोक-कल्याण राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी, प्रशासन को सफल बनाना है ।

जो कुछ मैं ने कहा है उस को दृष्टिगत करते हुए मैं प्रस्तावक से आग्रह करूंगा कि वह इस संकल्प पर अधिक जोर न दें । इस का कारण स्पष्ट है । हम स्वयं प्रशासन सम्बन्धी उन्नति और सुधार पुरःस्थापन करने की

[श्री दातार]

आवश्यकता से परिचित हैं । यह सुधार साकार बनेंगे । यदि आप बीते हुए दिनों की ओर देखें तो आप अनुभव करेंगे कि भारत सरकार आज उस रूप में नहीं है जिस में वह १९४७ के पहले थी । कार्य का अवलोकन करने के बाद, सरकार इस तरह के आयोग अथवा समिति की आवश्यकता अनुभव करती है और यदि सरकार द्वारा अभी तक किये गये और भविष्य में संयोजित कार्यों की ओर सदन पूरा ध्यान देता है तो सरकार अवश्य ही इस विषय पर विचार करेगी ।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : सभापति महोदया । श्री एस० एन० दास ने हमें सेवाओं के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त करने का जो अवसर दिया है इस के लिये सदन उन का आभारी है । हम उपमंत्री की सतर्कता और सावधानी के लिये उन के प्रति भी कृतज्ञ हैं । लेकिन मुझे लगता है कि उन में तनिक आत्मसंतुष्टि की मात्रा है और उन का विचार है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह पर्याप्त है । हम यह मानते हैं कि वह इस दिशा में कुछ कर रहे हैं; लेकिन वह पर्याप्त नहीं है; हमारी इच्छा है कि वह अधिक गतिशील हों ।

इस समय में जब कि संसदीय नियंत्रण कम हो रहा है और नौकरशाही तीव्रता के साथ विकास कर रही है यह सर्वथा उचित है कि जनता के हितों की संरक्षक संसद् जागृत एवं तत्चेष्ट रहे । अतः सदस्यों द्वारा इस प्रकार का संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करना स्वाभाविक है । यदि हम सेवाओं की आलोचना अथवा निन्दा करते हैं तो हम सद्भावनाओं से प्रेरित हो कर ही ऐसा करते हैं ।

यदि हम लोक सेवा के इतिहास और विकास की ओर दृष्टिपात करें तो हमें विदित होगा कि १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सेवाओं का प्रभाव बढ़ गया है । इस का कारण राज्य के लक्षण में परिवर्तन है । पुलिस राज्य के लोक हितकारी राज्य में परिवर्तित होने से सेवाओं को अगम्य शक्ति मिली है । विश्व की समस्त सरकारों के प्रशासन ढांचे में लोक-प्रशासन ने आधार-भित्ति का रूप ग्रहण कर लिया है ।

स्वतंत्रता के पश्चात सेवाओं ने जो समीचीन कार्य किया है उस के लिये वे बधाई की पात्र हैं । यह उन का परीक्षण-युग था । इस युग में राष्ट्र के प्रति की गई उन की सेवाएं सम्मानगोय हैं । लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने में उन्होंने हमारी आशा के अनुसार काम नहीं किया । उन्होंने बदले हुए जमाने की पुकार नहीं सुनी है । सरकार के कार्य एवं संचालन के प्रति उन का दृष्टिकोण पूर्ववत है । सरकार द्वारा उद्भूत नीतियों और सेवाओं द्वारा उन के निष्पादन में समरसता का अभाव है ।

मैं समझता हूं कि तटस्थता तथा पृथकत्व को निष्पक्षता और प्रजातंत्रात्मक भावना को स्थान देना चाहिये । हमारे सेवा कर्मचारियों को लोगों की भावनाओं को समझना चाहिये और अपने आप को परिवर्तित दशाओं के अनुकूल बना लेना चाहिये । इस के अतिरिक्त, जब देश आयोजित अर्थव्यवस्था को अपना रहा है, ऐसे समय में चरित्र निर्माण तथा न्याय निष्ठा की आवश्यकता है । यदि देश में ईमानदार तथा चरित्रवान सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो संसदीय सरकार सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती । जब देश आयोजित अर्थ-व्यवस्था को अपना रहा है तब उचित लोक प्रशासन की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है । इसलिये इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए लोक सेवाओं को एक ऐसा स्तर बना लेना चाहिये जिस से पूरा समाज उन से स्पर्धा कर सके तथा सेवाओं की ईमानदारी

तथा चरित्र पर कोई उंगली न उठा सके। मैं मानता हूं कि इस मामले में सरकार का गम्भीर दृष्टिकोण रहा है। इस बारे में सरकार कई समितियां नियुक्त कर चुकी है। गोरवाला समिति ने योजना आयोग को सिफारिशें भेजी थीं और फिर ऐप्पलबी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इन रिपोर्टों के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं। किन्तु इन में से बहुत कम कार्यान्वित की गई हैं। सरकार को इन रिपोर्टों के महत्वपूर्ण भागों को कार्यान्वित करने के बारे में विचार करना चाहिये।

अब मैं अपने संशोधन को लेता हूं। हमारा यह अनभव है कि सरकारी कर्मचारी, जोकि उत्तरदायी पदों पर नियुक्त होते हैं, सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद गैर-सरकारी उद्योगों तथा कम्पनियों में नौकरी कर लेते हैं। यह बात ठीक नहीं है और इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

श्री दातार : नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी सेवा-निवृत्ति या सेवा से त्यागपत्र देने के बाद दो वर्ष तक कोई नौकरी नहीं कर सकते।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इस प्रकार के कई मामले जानता हूं। कुछ राजनीतिक नेताओं ने गैर सरकारी उद्योगों में कुछ सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारियों को महाप्रबन्धकों के रूप में काम करते देखा है। मैं भी कुछ ऐसे प्रवर सचिवों को जानता हूं जो संभरण तथा उद्योग विभागों में नियुक्त थे और जो अब गैर सरकारी उद्योगों में काम करते हैं। हमारा प्रजातंत्रात्मक शासन अभी नया है। हमारी लोक सेवाओं को जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये। हम आयोजित अर्थ व्यवस्था चाहते हैं तथा हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण और शासन प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिये।

कुमारी एनी मस्करीन : जिस देश में हाल ही में प्रजातंत्र स्थापित हुआ है उस की तुलना में लोक प्रशासन के मामले में हम आगे बढ़े हुए हैं। किन्तु यह इस तुलनात्मक अध्ययन का बाह्य स्वरूप है। गृह उपमंत्री ने स्पष्टीकरण किया तथा सरकार की सेवा में लगे हुए अत्यधिक कार्यकुशल व्यक्तियों के अभिलेखों तथा रिपोर्टों का उद्धरण दिया किन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि लोक प्रशासन में बहुत सी कमियां हैं।

हम ने प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त, अर्थात् कबिनेट के संयुक्त उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। किन्तु हम देखते हैं कि यहां प्रश्न पूछे जाने के समय मंत्रिगण यह कह देते हैं कि यह प्रश्न उन के मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है इसे दूसरे मंत्री से पूछा जाना चाहिये। राज्यों में तो सभी मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं। किन्तु यहां मंत्रियों को यह नहीं मालूम कि दूसरे मंत्रालयों में क्या हो रहा है। इस प्रकार कैबिनेट के संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि मंत्रियों में परस्पर सामंजस्य नहीं है।

अब नीतियों सम्बन्धी परिवर्तन के प्रश्न को लीजिये। यह बात कई बार घोषित की जा चुकी है कि हम ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त को मान लिया है। किन्तु जिस प्रकार सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों को सहायता दी जा रही है उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इस मामले में सरकार बहुत असफल रही है। मैं चाहती हूं कि वित्त मंत्री उन वित्तीय सिद्धान्तों की घोषणा करें जिन के अनुसार वह अपनी नीति बनाते हैं। गैर सरकारी उद्योगों को धन विनियोजित किया जाता है किन्तु वे अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार उन में धन का अपव्यय होता है।

हम कानून बनाते हैं। किन्तु उन में से कितनों को लागू किया गया है ? कानूनों

[कुमारी एनी मस्करीन]

को लागू करने के मामले में भी सरकार असफल रही है ।

अब मैं सेवा सुरक्षा के प्रश्न को लेती हूं । केन्द्रीय सचिवालय में भी अन्य सचिवालयों के समान कमियां हैं । मैं इस प्रकार के कई उदाहरण जानती हूं कि जिन सरकारी अधिकारियों ने कई वर्ष तक काम किया उन्हें अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिये बिना ही नौकरी से हटा दिया गया है । यदि वे अपराधी हों तो आप उन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही कीजिये । किन्तु हमें इस स्थिति से उत्पन्न उन की दशा का ध्यान रखना चाहिये । इस सरकार के अधीन सेवा की सुरक्षा नहीं है ।

अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखें । उच्च पदों पर अति व्यय वाले प्रशासन के कारण कर-दाताओं पर भार बढ़ रहा है । रक्षा मंत्रालय में दो वर्षों में ७ करोड़ रुपयों का अपलेखन किया गया है । कुछ जलपोत डुबा दिये गये हैं और दो या तीन जलपोतों की मरम्मत पर ११७ लाख रुपये खर्च किये गये हैं । इस प्रकार धन बहाया जा रहा है और कर-दाता इस कमी को पूरा करेंगे । वित्तीय मामलों पर वित्त मंत्री का सामान्य नियंत्रण होना चाहिये किन्तु प्रत्येक विभाग को उचित प्रकार से व्यय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । आय व्ययक भाषण में हम ने सुना कि कई करोड़ रुपये, जो कि खर्च किये जाने के लिये पृथक् रख दिये गये थे, खर्च नहीं किये गये हैं । इस का मतलब यह है कि देश की इतनी प्रगति रुक गई और इस प्रकार खाद्य तथा अन्य समस्यायें भी नहीं सुलझाई जा सकीं । अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा फ्रांस के प्रजातन्त्रात्मक शासन के प्रथम दस वर्षों की तुलना में हमारा प्रशासन अच्छा है ।

श्री आर० के० चौधरी (गोहाटी) : मुझ से पहिले माननीया महिला सदस्या ने जो बातें कहीं मैं उन से सहमत हूं । उन्हों ने सेवा सुरक्षा पर जोर दिया और मैं उन की इस बात को पूरी तरह से मानता हूं । मैं माननीय मंत्री का ध्यान राज्यों में प्रचलित बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । वहां जब कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही करनी पड़ती है तब मंत्रालय द्वारा कुछ अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं और केवल मंत्रालय ही उन्हें सेवा से हटा सकता है । संविधान के अनुसार सेवायुक्त किसी भी व्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

मंत्रालय द्वारा सेवा से हटा दिये जाने के बाद किसी अन्य न्यायाधिकरण में अपील नहीं की जा सकती । जब ऐसी अपीलों के मामले राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो वे इन्हें फिर इस मंत्रालय के पास भेज देते हैं । मंत्रालय फिर उस अपील पर विचार करता है । इस से सेवा सुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है । इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग या कोई अन्य न्यायाधिकरण होना चाहिये । पुराने संविधान के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को राज्यपाल से दूसरी अपील करने का अधिकार था । किन्तु अब राज्यपाल स्वविवेक के अनुसार कार्य नहीं कर सकता । इस दोष को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिये ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों की दशा में सुधार नहीं करते तब तक कार्यकुशलता नहीं आ सकती । जब किसी मंत्री को कोई पत्र या अभ्यावेदन भेजा जाता है तो सब से पहिले निम्न श्रेणी के कर्मचारी ही उस के बारे में कार्य करते हैं और फिर मंत्री महोदय के

पास तक आवश्यक काग़ज़ों को पहुंचने में महीने लग जाते हैं। यह एक सामान्य शिकायत है कि मंत्रियों के पास काफी देर बाद काग़ज़ पहुंचते हैं। इस का कारण यह है कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में कार्यकुशलता की कमी है। किन्तु जब उन्हें १२० या १३५ रुपये भत्ता मिलता है तो वे किस प्रकार कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं? मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब वह सेवाओं के पुनर्संगठन के प्रश्न को लें तब वह इस बात पर विचार करें कि इन लोगों से किस प्रकार कुशलतापूर्वक काम लिया जा सकता है और इन क्लर्कों का वेतन भी बढ़ाने का प्रयत्न करें।

श्री दातार: प्रथम श्रेणी तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और राष्ट्रपति ही उन्हें सेवा से हटा सकते हैं। सेवा से हटाये जाने के सभी मामले संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजे जाते हैं और उस की सम्मति लेने के बाद ही राष्ट्रपति या नियुक्त करने वाले अधिकारी कार्यवाही करते हैं।

श्री आर० के० चौधरी: क्या राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करते हैं या अपने विचारों के अनुसार?

श्री दातार: राष्ट्रपति मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कार्यवाही करते हैं। मैं ने पहिले जो एक उत्तर में कहा था मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। जहां तक त्यागपत्र देने के बाद दूसरी नौकरी करने का सम्बन्ध है, हम इस मामले में कुछ नियम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जिस से कि ऐसा अधिकारी एकदम ही गैर सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य): सभानेत्री जी, मैं उन सभी सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्हों ने और प्रायः सभी ने मेरे प्रस्ताव का बहुत ही ज़ोरदार शब्दों में समर्थन किया है। माननीय मंत्री जो बहस इस सभा में हुई है उस को अगर उन्हों ने ध्यान से सुना है और इस सम्बन्ध में अख़बारों में जो चर्चा होती है उस को पढ़ा है तो मैं समझता हूं कि वह इस बात को मानने के लिये तैयार होंगे कि इस की बहुत आवश्यकता है कि जिस तरह से सरकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में विचार कर रही है, उस से बहुत तेज़ी के साथ इस पर विचार किया जाना चाहिये।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कई जगह अपने भाषणों में कहा कि प्रशासन का एक बड़ा जंगल क़ायम हो गया है और उस जंगल को साफ करने के लिये मेरी समझ में एक कमीशन और आयोग की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी भी हमारे माननीय मंत्री जिन्हों ने भाषण दिया वह इस बात की आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं। माफ करेंगे मेरे मंत्री जी अगर मैं यह कहूं कि सरकार का निर्णय कुछ देर से ही हुआ करता है। अभी मेरे पास ऐसे ही विषय पर ब्यौरे के साथ कहने का समय नहीं है लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना हीं पड़ता है कि जिस समय भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की समस्या यहां पर खड़ी हुई तो हमारी सरकार की तरफ़ से कहा गया कि इस की कुछ भी आवश्यकता नहीं है और उस के अनुसार जो संशोधन पेश किया जाने वाला था कि इस के लिये कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये, वह संशोधन नहीं पेश किया जा सका, लेकिन उसके बाद हम क्या दखते हैं, उस के कुछ ही महीनों बाद यह निर्णय किया गया कि प्रान्तों के पुनः-संगठन के लिये एक आयोग की स्थापना होगी। इस विषय में भी मेरा तो विचार यह है कि अभी मंत्री जी ने शायद इतनी गहराई के साथ इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जितनी गहराई के साथ इस पर विचार किया जाना चाहिये था। आज इस प्रजातंत्र के युग में जनता की आवाज़

[श्री एस० एन० दास]

सब से बड़ी है, सर्वशक्तिमान् जनता है और हम जितने लोग भी हैं सब जनता के सेवक हैं। जनता की आवाज़ को समय पर न सुनना यह एक ऐसा काम है जिस के बारे में मैं समझता हूं कि जितना कम कहा जाय उतना अच्छा है, फिर भी मैं इस बात की आवश्यकता को अभी भी महसूस करता हूं कि इस जंगल को साफ करने के लिये और एक नया रास्ता निकालने और नई पद्धति लाने के लिये ज़रूरत इस बात की है कि कुछ ऐसे लोग पूरा समय दे कर इस विषय पर विचार करें जिन को कि इस बात का भव भी हो और जो समझते हैं कि प्रजातंत्र के जो हमारे सामाजिक आदर्श हैं, उस आदर्श को पूरा करने के लिये किस तरह के सेवा मंडल की हम को ज़रूरत है और उस की इस आवश्यकता को वे महसूस करते हैं। यह जो छुटपुट सुधार करने की बातें की जाती हैं और एक आध कमेटी नियुक्त की जाती है जिस में एक आध सुझाव दे दिया जाता है और उन को काम में लाने के लिये कमेटियां बैठा दी जाती हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत पुराना तरीक़ा है और इस तरीक़े से काम चलने वाला नहीं है। हमारा खयाल है कि जिस तरीक़े से हम ने विधान का निर्माण किया है, उसी तरह से शासन की पद्धति और शासन के यंत्र का निर्माण करने के लिये एक विस्तृत और व्यापक तरीके से छानबीन करने, सोचने और उपयुक्त निर्णय करने के लिये एक विशिष्ट आयोग की आवश्यकता है।

जैसे जैसे कमीशन या कमेटी के सुझाव इस सम्बन्ध में आते जायें वैसे वैसे तंत्र और पद्धति में सुधार करते जाना चाहिये। बहुत अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिस बुलन्दी के साथ जनता इस प्रश्न के ऊपर आवाज़ उठाती है, उतनी सहानुभूति के साथ सरकार इस पर नहीं सोचती है। मेरा कहना यह है कि अभी भाषण के समय हमारे माननीय मंत्री ने कहा था कि अब जो हमारी सर्विसेज के लिये लोग नियुक्त किये जाते हैं उन के व्यक्तित्व की परख के लिये हाउसपार्टी सिस्टम का नया तरीका अख्तियार किया जा रहा है। हमारे मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, जब मैं यह कहता हूं कि जब इंग्लैंड में यह हाउसपार्टी सिस्टम कायम किया गया तो हिन्दुस्तान में भी वह तुरन्त आ गया। जब इंग्लैंड में यह हाउसपार्टी सिस्टम नहीं था तो हमारे देश में भी वहां का पुराना तरीका ज़बानी प्रश्न पूछकर व्यक्तित्व परखने (viva voce) की प्रणाली जारी थी और ऐसे प्रश्नोत्तर में प्राप्त नम्बर के आधार पर नियुक्ति की जा रही है।

श्री एस० एन० दास: संघ लोक सेवा आयोग तक मौखिक परीक्षा के स्थान पर 'हाउसपार्टी टेस्ट' प्रणाली अपनाने जा रहा है, जिसका आपने निर्देश किया था।

श्री दातार: मैंने तो व्यक्तित्व की जांच के सम्बन्ध में कहा था।

श्री एस० एन० दास: मैं यह कह रहा था कि यह जो सिस्टम (प्रणाली) है जिस के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, उस में कुछ सुधार भी हो तो भी उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि रिक्रूटमेन्ट (भर्ती) की जो पद्धति है उस में आमूल परिवर्तन करने की जरुरत है। बिना आमूल परिवर्तन किये हुए कितनी भी कमेटियां कायम की जायें, उससे काम चलने वाला नहीं है।

मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि इस प्रस्ताव के पीछे जो सिद्धांत है वह सिद्धांत उन को मंजूर है और उस के आधार पर वह अभी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ़ से जो भी काम होगा उसे

संसद् के सामने रक्खा जायेगा और अगर संसद् समझेगी कि वह पर्याप्त नहीं है तो सरकार इस पर गौर करेगी कि इस के लिये आयोग बनाने की आवश्यकता है या नहीं। अन्धकार में यह एक प्रकाश की ज्योति मालूम होती है। कुछ देर से सही, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार है कि अगर इस तरह के आयोग की आवश्यकता होगी तो सरकार इस बात के लिये भी विचार करेगी और अगर संसद की राय होगी तो इस तरह का आयोग भी नियुक्त किया जायेगा।

चूंकि, सभानेत्री जी, आपने कह दिया है कि २८वें मिनट पर मुझे खत्म कर देना है इस लिये मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले फिर यह बात कहना चाहता हूं कि जनता की यह पुकार है, जिन के हम प्रतिनिधि हैं उन लोगों की यह पुकार है और जनता के साथ साथ जो यह सभा बैठी हुई है उसने भी गहराई से इस पर जोर दिया है इसलिये इस बहस से सरकार को चेतावनी लेनी चाहिये और सरकार को सावधान होना चाहिये कि कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर देरी करना सरकार के लिये नुकसानदेह है। मैं समझता हूं कि सर्विसेज चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हों, लेकिन वह जनता में बदनाम हो चुकी है। बद अच्छा होता है लेकिन बदनाम अच्छा नहीं होता है। अगर आप अच्छे हैं तो जनता को मालूम होना चाहिये और संसार को मालूम होना चाहिये कि आप अच्छे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे हैं और संसार को नहीं मालूम होता कि आप अच्छे हैं तो यह खतरनाक बात है, इस को इस प्रकार सुधारने की जरुरत है जिससे इस सभा का विश्वास और सारे सभासदों का विश्वास, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सर्विसेज पर हो जाय।

एक और बात कह कर मैं खत्म करूंगा। हमारे मंत्री महोदय ने कहा है कि आर्गेनाइजेशन ऐंड मेथड्स डिवीजन कैबिनेट सैकेट्रेरियट में बनाया गया है। यह प्रसन्नता की बात है, हालांकि अभी यह मालूम नहीं है कि इस डिवीजन में जो काम करने वाले हैं उनकी नियुक्ति कैसे हुई है या कैसे होगी। इस के साथ साथ यह भी खुशी की बात है कि एक इंडियन इन्स्टिटयूट आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की तरफ़ से तो नहीं, लेकिन सरकार की मदद से कायम हुआ है, जो कि प्रशासन सम्बन्धी विषयों का लगातार अध्ययन करेगा और समय समय पर सरकार के नियमों को देख कर, सरकार के कामों को देख कर उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव पेश किया करेगा। यह भी अन्धेरे में प्रकाश की ज्योति मालूम होती है। मुझे विश्वास है कि जो आश्वासन हमारे गृह उपमंत्री जी ने दिया है उसके अनुसार जल्द से जल्द वह काम करेंगे।

सभानेत्री जी, आप की आज्ञा से, जो प्रस्ताव मैंने रक्खा है और उसके सम्बन्ध में जो आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया है और जो कार्यवाई सरकार कर रही है, उस को देखते हुए सदन से अनुमति चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लूं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): चूंकि प्रस्तावक ने अपना संकल्प वापस लेने की इच्छा प्रकट की है अतः मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय: अगला संशोधन श्री जी० एल० चौधरी का है किन्तु वह अनुपस्थित हैं। दूसरा संशोधन श्री सिंहासन सिंह का है, क्या वह इसे रखना चाहते हैं।

श्री सिंहासन सिंह: रेज़ोल्यूशन वापस है, तो ऐमेडमेन्ट भी वापस है।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया

सभापति महोदय: क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति मिल गई है ?

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): एक औचित्य प्रश्न है, महोदया, जबकि सदस्य अनुपस्थित है, तो उसे अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति सदन से किस प्रकार मिल सकती है, जब तक कि वह स्वयं इसे वापस न लें ?

सभापति महोदय : तब मैं इसे सदन के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृति हुआ।

श्री रघुवीर सहाय तथा श्री बी० के० दास के संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिये गये।

सभापति महोदय द्वारा श्री जी० एल० चौधरी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मूल संकल्प मतदान के लिये रखा गया, जिसके पक्ष में ३४ तथा विपक्ष में ११७ मत रहे।

हथकरघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साघन गुप्त अनुपस्थित हैं। अब हम श्री शिवमूर्त्ति स्वामी के संकल्प पर विचार करेंगे।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी): श्रीमान, मैं निम्न संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं:

"कि इस सदन की यह राय है कि हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सब साड़ियों तथा धोतियों का उत्पादन इसी उद्योग के लिये रक्षित रखा जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अपनी खुश किस्मती समझता हूं कि दो साल तक बराबर प्रयत्न करने के बाद और अपना रेजुलेशन इस विषय पर डालने के बाद मेरी लक न फेवर किया और मुझे अपने रेजूलेशन को हाउस के सामने रखने और उस पर बोलने का अवसर मिला। इस मौके पर मैं अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए हाउस के सामने यह अपना प्रस्ताव उस की मंजूरी के लिये पेश कर रहा हूं।

जहां यह चीज़ दुरुस्त है कि इंसान की ज़िन्दगी के लिये खाना, कपड़ा और मकान ये तीन ज़रुरी चीज़ें हैं वहां यह बात भी दुरुस्त है कि कपड़ा देश की एकोनामी में एक बहुत अहम स्थान रखता है और जब तक इसका समुचित प्रबन्ध नहीं होता तब तक मुल्क के लिये कोई इन्तज़ाम करना बेकार है।

अब मैं इस विषय पर आता हूं और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जुलाहे लोगों की यह हैंडलूम इंडस्ट्री काटेज़ इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत अहम इंडस्ट्री समझी जाती है। मैं हाउस को यह भी बतलाना चाहता हूं कि तकरीबन् एक करोड़ आदमी इसी हैंडलूम इंडस्ट्री के सहारे अपनी ज़िन्दगी बसर करते हैं।

खास तौर पर बहुत कदीम जमाने से हिन्दुस्तान भर में सिर्फ वही लोग कपड़ा सप्लाई करते थे, लेकिन एंजिन और बहुत सी मैशीनरी के हमारे देश में आने के बाद साल ब साल उन लोगों के प्रोडक्शन में कमी होती गई और आज स्थिति यह है कि सन् १९४१ से ले कर आज तक उन को करीब एक तिहाई रोज़गार ही मिलता है। हालांकि वह २८

लाख लूम्स (करघे) हैं फिर भी वह सिर्फ एक तिहाई प्राडक्टस (उत्पादन) ही करते हैं। एक महीने में कुल दस दिन काम करते हैं और बीस दिन बेकार रहते हैं। सिर्फ एक महीने में दस दिन काम करने से उन को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है कि उस को सिर्फ उन के बीच में रहने वाले ही समझ सकते हैं।

इसके बाद में सिर्फ साड़ी और धोती को उन के लिये रिर्जव करने की अहमियत और उन को अपना सारा कपड़ा बनाने देने के जरूरी विषय पर आता हूं। यह साफ जाहिर है कि कदीम जमाने से हर किस्म का कपड़ा इस हैंडलूम इंडस्ट्री में बनता था। कुछ दिन के बाद इस हैंडलूम इन्डस्ट्री (हाथ करघा उद्योग) ने अपना बहुत कुछ हिस्सा मिल इन्डस्ट्री को दे दिया। बाद में हैंडलूम इन्डस्ट्री सिर्फ साड़ी और धोती बनाया करती थी, लेकिन जब सन् १९४८ में धोतियों और साड़ियों की बहुत कमी महसूस हुई तो साड़ी और धोती के बुनने के लिये भी गवर्नमेन्ट ने अहकाम जारी कर दिये। कमिश्नर ने साड़ियां को मिल्स से बनवाने की सोची। उस के बाद इस पर भी एन्क्रोचमेन्ट (अतिक्रमण) हुआ। इससे हैंडलूम वीवर्स (बुनकरों) को इतनी तकलीफ है जितनी कि शायद ही किसी और विलेज इन्डस्ट्री (ग्राम उद्योग) को हो रही होगी। जो लोग मेरी तरह विलेजेज (देहातों) से आते हैं वह जानते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा बेकारी हो गई है और लोग भिखारी हो गये हैं। जो लोग काम करने वाले होते हैं, प्रोडक्शन करने वाले होते हैं उन की रोजी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। अंगरेज़ों ने अपनी मशीन को हिन्दुस्तान में ला कर और यहां के लोगों को धोखा देने की गरज से काफी अन्याय किया। जो लोग ढाके की मलमल बनाने वाले थे, उन के हाथ कटवा लिये थे। अब जब हम लोग आजाद हो गये हैं और सात सालों से अपनी नेशनल गवर्नमेन्ट को प्रजातंत्री सिद्धान्त पर चला रहे हैं, मैं गवर्नमेन्ट से यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि आज दस सालों से इन वीवर्स की तकलीफ बढ़ती जा रही है, हर साल तकलीफ बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश में जो एलियन गवर्नमेन्ट (विदेशी सरकार) अंगरेजों की गवर्नमेन्ट थी उस ने कांग्रेस वालों के और लीड़रों के कहने पर एक कमेटी बैठाई जिसको कि फैक्ट फाइन्डिग कमेटी (तथ्य निर्धारण समिति) कहते हैं। उसने एक रिपोर्ट पेश किया और सन् १९४३ में हैंडलूम के लिये रिजर्वेशन करने के लिये भी सिफारिश की। लेकिन उस जमाने में जो गवर्नमेन्ट यहां पर काम करती थी उसने कुछ इस सिलसिले में नहीं किया। यही नहीं कि इस के लिये कुछ नहीं किया बल्कि उसके बाद मिल इन्डस्ट्री को प्रोटेक्शन (सुरक्षा) का भी भरोसा दिया। यह प्रोटेक्शन मिल इन्डस्ट्री को एक साल से नहीं, दो साल से नहीं बल्कि पचास साल से मिल रहा है, मैं यहां पर यह साफ कर देना चाहता हूं कि म मिल इन्डस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं। मिल इन्डस्ट्री भी चले और हैंडलूम इन्डस्ट्री भी चले, लेकिन एक दूसरे की सहायक बन कर चलें, दुश्मन बन कर न चलें। यही मेरी प्रार्थना है।

मंत्री महोदय से मुझ को यह शिकायत है कि आज हैंडलूम इंडस्ट्री को जितनी तकलीफ हो रही है। उतनी तो अंगरेजों के ज़माने में भी नहीं थी। न हमारे भाई इतनी तकलीफ उठाते थे न हमारी बहने इतनी तकलीफ उठाती थीं। जब मैं आज कल अखबारों में पढ़ता हूं कि इतने हैंडलूम का काम करने वाले बेकार हो गये हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है अक्सर रात में पूंजीपतिओं के घर में लोग भिक्षुक बन कर आते हैं, और उन में ज्यादातर औरतें होती हैं, ताकि उन को एक रोटी खाने के लिये मिल जाये। रोज ही ऐसा होता रहता है। मेरे पास एक अखबार है जो कन्नड़ भाषा में है। जो हमारे कामर्स और इंडस्ट्री के मिनि-

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

स्टर (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री) हैं वह इसको समझ सकते हैं। जब कभी कोई जुलाहा मर जाता है तो उस को दफन करने के लिये गल्ले वालों को पैसा जमा करना पड़ता है और वह मर जाता है भुखमरी से क्योंकि उस को खाने को नहीं मिलता है। औरतें मरती हैं और कभी कभी तो वह अपने बच्चे को गोद में ले कर कुएं में कूद कर मरती हैं। आज हैंडलूम इंडस्ट्री के जो जुलाहे लोग हैं वह बेकार हो रहे हैं। गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। मैं यह अखबार पढ़ता हूं कि जो हमारे यहां जुलाहों के एक जल्से के बारे में है :

> "रामदुर्गद्र नेकारनोब्बु कूलु इल्लादे सत्तनु" नेकाटर निरुद्योग समस्ये एस्टु भीकरवागिदे येबुदर प्रत्यक्ष निरदर्शनवेंदरे, इल्लिय नेकारवाद वसप्पा देवींद्रप्पा कठारी एंबवनु रामद्रर्गद राधापूर पेटेदल्लीकूलु इल्लादे [redacted]ु होदनु। आतन मण्णिगे कूड हण इल्लदूरिंद आ ओणियवरे पट्टी हाकी मण्णु माडिदरु। इंतह अनेक उद्राहरणेगलु जरगहत्तिद्वरिंद इल्लिय बेकार समाजवेल्ल 'हौहारी हो गिदे।"
> (हुबली का कन्नाडिगा साप्ताहिक दिनाकं २६-४-१९५४).

मतलब यह है कि वहां पर लोग इस स्थिति में आ गये हैं कि वह और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप एक करोड़ इन्सानों की जिन्दगी के साथ खेलना चाहते हैं या उन को किसी किस्म का इन्टेरिम रिलीफ देना चाहते हैं ? मुझे मालूम है कि साड़ी और धोती को उन के लिये महफ़ूज़ कर देने से बहुत ज़माने के लिये उन की जिन्दगी सुखमय नहीं बन सकती है, लेकिन इस इन्टेरिम रिलीफ के देने से उन को बहुत फायदा हो सकता है और यह उन को मिलना चाहिये। इसके खिलाफ यह कहा जाता है कि रेट्स हायर (दरें ऊंची) हो जाती हैं और यह लोगों के टेस्ट के खिलाफ हो जाता है। लेकिन मैं इस के लिये यह कहना चाहता हूं कि कोई भी हायर रेट्स बनायें, यह २० फीसदी से ज्यादा नहीं होता है। यहां पर एक बिल हमारे मंत्री महोदय लाये और पास कराया जिस का नाम था "धोतीज ऐडिशनल एक्साइज ड्यूटी बिल" (धोती अतिरिक्त उत्पादन शुल्क विधेयक)। मैं कहता हूं कि यह बिल एक हाफ हार्टेड बिल है। सिर्फ धोती के लिये रिजर्वेशन है और वह भी महज़ ६० परसेन्ट। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने ने कहा था कि : नवम्बर १९५२ के अन्त में सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके द्वारा सभी मिलों को ३१ मार्च, १९५२ के अन्त तक धोतियों के उत्पादन में ६० प्रतिशत तक नियन्त्रण लगा देने के लिये कहा गया था। ऐसा हथकरघा उद्योग को सहायता देने के विचार से किया गया था। इस सम्बन्ध में सरकार ने हम लोगों की अनुमानित मांग ४५,००० गांठों के बजाय अधिकतम उत्पत्ति वाला समय अर्थात् लगभग ५०,००० गांठ प्रतिशत का चुना था। हमने ३०,००० गांठों का कोटा निश्चित किया था। वास्तव में हमने अनुभव यह किया कि कभी ३३$\frac{1}{3}$ प्रतिशत ही होगी, ४० प्रतिशत नहीं।

यह सिर्फ हमको धोखा देने के लिये है। ऐसे बिल को लाकर हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। हम इतना ज्यादा मारजिन दे रहे हैं। मिल वाले आपसे बहुत ज्यादा होशियार हैं। वह इस बिल को जेब में डाल लेते हैं। अगर आप चाहते तो इसमें बहुत कुछ तरमीम कर सकते थे। अगर धोतीज और साड़ीज के लिये २० या ३० पर सेंट का मारजिन रखते। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट (उपभोक्ता के हित) की हिफाज़त की जाय। लेकिन आपके पास इसका क्या जवाब है कि आप हिन्दुस्तान की मिल इंडस्ट्री को

प्रोटेक्शन देते रहे हैं। अगर आप कंज्यूमर का ही इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप जापान का कपड़ा यहां आने देते। जिस तरह आप मिल इंडस्ट्री को बाहर के कम्पिटीशन (प्रतिद्वंदिता) से प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसी तरह से आप मिल इंडस्ट्री के मुकाबले में हैंडलूम इंडस्ट्री को क्यों प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। यह करना जरुरी होगा। और यह प्रोक्टेशन आप साड़ी और धोती को महफूज़ करके ही दे सकते हैं। अगर आप धोती और साड़ी को पूरे तौर पर बन्द नहीं करना चाहते और कुछ कनसेशन ही देना चाहते हैं तो मैं यहां तक आने को तैयार हूं, जैसाकि मेरे चन्द भाइयों ने अमेंडमेन्ट (संशोधन) दिया है, कि ३० या ४० काउंट तक का प्रोडक्शन सिर्फ हैंडलूम के लिये महफूज़ कर दिया जाय। ४० से ऊपर मिल वाले कर सकते हैं। मैं यह अमेंडमेन्ट मानने के लिये तैयार हूं। अगर आप इतना भी नही मानेंगे और इसको अधूरा छोड़ देंगे तो आप एक करोड़ इन्सानों को धोखा देंगे जिनको प्रोटेक्शन देना जरुरी है। यही लोग पहले धोती और साड़ी बुनते थे। इस सिलसिले में मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारश आपके सामने रखना चाहता हूं। आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड की ब्रीफ सर्वे रिपोर्ट (संक्षिप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट) के पेज २५ का सारांश यह है कि :

> हथकरघा उद्योग का रक्षण मिलों तथा उसके आपसी समझौते से हो सकता है। यह तभी हो सकता है जबकि मिलें २५ इंच से ५० इंच चौडा, व $1\frac{1}{2}$ से लेकर $2\frac{1}{2}$ गज़ लम्बा तथा बिना धारियों वाला आदि कपड़ा न बनायें।

यह सिफारिश फैक्ट फाइंडिग कमेटी ने ने सन् १९४३ में की थी। उस वक्त ब्रिटिश का ज़माना था और वह मिल इंडस्ट्री को दबाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो आपकी कमेटी एप्वाइंट (समिति नियुक्त) हुई वह भी, दी आल इंडिया फर्स्ट एन्युअल रिपोर्ट में यही कहती है :

> (क) सरकार को चाहिये कि जब तक टेक्सटाइल जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक २० एस० से ४० एस० सूत की धोतियां तथा साड़ियां बनाने का काम हथकरघा उद्योग को सौंप दें :
>
> (ख) कारखाने के बने हुए कपड़े के उत्पादन को वृद्धि को देखते हुए सरकार को यह घोषित कर देना चाहिये कि टेक्सटाइल कारखाने ने ४८० करोड़ से अधिक कपड़ा न तैयार करे जैसा कि योजना आयोग ने नियत किया है।

और इसके जवाब में कहते हैं कि किस वास्ते हम इसको नहीं ले सकते :

> क्योंकि वे टेक्सटाइल जांच समिति की सिफारशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिफारिश स्वीकार भी नहीं की गई है क्योंकि योजना आयोग के आंकड़े केवल लक्ष्य हैं पूर्ण उद्देश्य नहीं।

लेकिन आपको यह भी साफ़ ज़ाहिर है कि पर कैपिटा कंजम्पशन (प्रति व्यक्ति उपभोग) तकरीबन ९.२ है। यह इसलिये है कि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी (क्रम क्षमता) ज्यादा नहीं है। हम एक दिन में १४ या १५ गज़ से ज्यादा नहीं बना सकते इस रेट पर हम अपने मुल्क की पूरी ज़रुरियात के लिये कपड़ा बना सकते हैं। इससे ज्यादा कपड़ा बनाने की इजाज़त देना इन गरीब इन्सानों से यह कह देना है कि हम हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं करना चाहते बोर्ड वालों ने जो

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

प्रयत्न किया है हम उसके लिये शुक्रगुजार हैं लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट उनकी सिफारिश पर अमल क्यों नहीं करती । हैंडलूम इंडस्ट्री बोर्ड ने बहुत सी स्कीमस (योजनायें) बनायी हैं । जो आपने कोआपरेटिव की स्कीम बनायी है उसके लिये भी धन्यवाद । फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मैनेजिंग एजेंसी वाले एक्सट्रा प्राफिट (अतिरिक्त लाभ) करके कीमत को बहुत बढ़ा देते हैं । लिहाज़ा उसको आपको देखना होगा । आपको यह भी देखना होगा कि बंगाल के एक काटेज इंडस्ट्री के डाइरेक्टर ने प्रेक्टिकली काम करके बताया है कि हम प्राइस को कम कर सकते है हम मिल से कम्पीट कर सकते हैं और मिल से कम नहीं तो हम मिल के बराबर प्राइस ला सकते हैं ।

[तो इस तरह हम कीमत कम कर सकते हैं । यह तभी हो सकता है जब आप काटन ग्रोइंग एरियाज (उत्पादन क्षेत्रों) में कोआपरेटिव मिल्स बनावें । आप दलील पेश करते हैं कि बंगाल के मिल वाले और गवर्नमेन्ट और पब्लिक नहीं चाहते । अब बम्बई और अहमदाबाद में यह इंडस्ट्री सेंट्रलाइज हो गयी है । वहां दूर से कपास आता है । मैं कर्नाटक को रिप्रेजेंट करता हूं । मेरे यहां से वहां कपास जाता है और फिर तागा बन कर वापस आता है फैक्ट फाइंडिग की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है । मेरे पास बहुत कुछ कहने को है लेकिन वक्त कम है । लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि काटन ग्रोइंग एरियाज़ में अगर आप कोआपरेटिव मिल्स बनायेंगे तो उसके बाद यह दिक्कत दूर हो सकती है । कोआपरेटिव एफर्ट (प्रयत्न) के ज़रिये हम हर आइटम (मद) पर कीमत को बहुत कम पर सकते;

इसके बाद ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो यह जो हैंडलूम का साड़ी और धोती का सवाल है इसको आपको सोचना चाहिये और इंटेरिम रिलीफ (आन्तरिक सहायता) के बतौर आपको इसका प्रोडक्शन एक दम बन्द करना होगा । इसके बगैर कोई चारा नहीं है । अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे मुल्क की और हमारे भाइयों की बदकिस्मती है । लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि जो कुछ हमने कागज़ पर कर दिया है उससे विलेजेज़ में सब कुछ हो जायेगा तो ऐसा नहीं है । मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि जहांपर हैंडलूम सेंटर्स हैं वहां पर अब मिनिस्टरों ने जाना छोड़ दिया है क्योंकि अगर वह वहां जाते हैं तो लोग उनके सामने अपनी तकलीफों को रखते हैं । मैं करमरकर जी से .....

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हम लोग बार बार जाते हैं और वापस भी आते हैं ।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : अगर आप जाते हैं तो जितनी तकलीफ वहां हैं वह भी जानते होंगे । अगर हम उनके लिये कुछ नहीं करेंगे तो हम अपनी इंडस्ट्री को धोखा देंगे। लिहाजा मैं और ज्यादा न कह कर इतना ही कहता हूं कि यह जो मौका मिला है इसका फायदा उठा कर आप चाहें तो इस रिजोल्युशन को स्वीकार कर सकते हैं। मेरी इतनी ही विनती है ।

उपाध्यक्ष महोदय: निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। मैं पहले संकल्प को सदन के सम्मुख रखूंगा । संकल्प प्रस्तुत किया गया :

"कि इस सदन की यह राय है कि हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सब

साड़ियों तथा धोतियों का उत्पादन इसी उद्योग के लिये रक्षित रखा जाये।"

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न आदिष्ट किया जाये, तथा :

"कि इस सदन की यह राय है कि हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने एवं उसका विकास करने तथा बनकरों में फैली हुई बेकारी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में--दूर करने की दृष्टि से, रेशमी कपड़े, बिछाने की चादरों, तौलियों और ३० काउंट तक की सभी साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन का ३० प्रतिशत भाग उक्त उद्योग के लिये रक्षित रखा जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल प्रातः ८.१५ बजे तक के लिये स्थगित रहेगी ।

इसके पश्चात् सभा, शनिवार, १ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—141 PSD—1-11-54—285